लोक-सभा बाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 14.12.87
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

अंक ३७—सोमवार, ३० मार्च, १९६४/१० चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२८५५—८६
*तारांकित प्रश्न संख्या		
७९६	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष	२८५५—५८
७९७	दक्षिणी रोडेशिया में रंग भेद	२८५८—५९
७९८	औद्योगिक "समझौता" संकल्प	२५६०—६३
७९९	संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय राजदूत . .	२८६३—६७
८००	नौरेंसेना के "सी हौक" विमान की दुर्घटना . .	२८६७—६९
८०१	विश्वविद्यालय रोजगार, सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो .	२८६९—७०
८०२	पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन का सुरक्षित रखा जाना . .	२८७०—७२
८०३	सशस्त्र सेनाओं में भर्ती	२८७२—७५
८०४	बिना विभाग के मंत्री	२८७५—७८
८०५	"निसान" जीपें	२८७८
८१४	पूर्व-पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का अपहरण . .	२८७९—८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२८८६—२९०४
तारांकित प्रश्न संख्या		
८०६	भेषज उद्योग में महिला कर्मचारी . . .	२८८६
८०७	तेजपुर में विस्फोट	२८८७
८०८	निरस्त्रीकरण सम्मेलन	२८८७
८०९	उज्जैन कपड़ा मिल में श्रम विवाद . . .	२८८७—८८
८१०	दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध . .	२८८८
८११	नागा-विद्रोही	२८८८—८९
८१२	पाकिस्तान के शिष्टमंडल द्वारा यूरोप का दौरा . .	२८८९
८१३	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ता .	२८८९
८१५	जंजीबार के साथ राजनयिक संयंत्र	२८९०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 37—Monday, March 30, 1964/Chaitra 10, 1886 (Saka)

	Subject	Page
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		2855—86
*Starred Question Nos.		
796	National Defence Fund	2855—58
797	Colour Bar in Southern Rhodesia	2858–59
798	Industrial Truce Resolution	2860—63
799	Indian Ambassador in U.A.R.	2863—67
800	Crash of Navy sea Hawk Aircraft	2867—69
801	University Employment, Information and Guidance Bureau	2869–70
802	Preservation of Food in Hilly Areas	2870—72
803	Recruitment to Armed Forces	2872—75
804	Minister without Portfolio	2875—78
805	Nissan Jeeps	2878
814	Abduction of Hindu Girls in East Pakistan	2879—86
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		2886—2904
Starred Question Nos.		
806	Women Employees in Pharmaceutical Industries	2886
807	Explosion in Tezpur	2887
808	Disarmament Conference	2887
809	Labour Trouble at Ujjain Textile Mills	2887–88
810	Economic Sanctions against South Africa	2888
811	Naga Hostiles	2888–89
812	Pak. Delegation's Visit to Europe	2889
813	D.A. for Defence Personnel	2889
815	Diplomatic Relations with Zanzibar	2890

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१६३९	भूतपूर्व सैनिकों को वीरता के पुरस्कार	२८९०
१६४०	ट्रैप और स्कीट गन	२८९१
१६४१	उड़ीसा में तकनीकी कर्मचारी	२८९१
१६४२	तालचेर कोयला खानों में दुर्घटना	२८९१
१६४३	उड़ीसा में रोजगार दफ्तर	२८९२
१६४४	उड़ीसा की कपड़ा मिलें	२८९२
१६४५	अदन में भारतीय महिला की मृत्यु	२८९२
१६४६	अणुशक्ति का विकास	२८९३
१७४७	लाओस की स्थिति	२८९३–९४
१६४८	पाकिस्तानियों द्वारा हमला	२८९४
१६४९	विदेशी अतिथियों की यात्रा	२८९४–९५
१६५०	दिल्ली में गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी	२८९५
१६५१	उत्तर प्रदेश के रोज़गार रजिस्टर में महिलायें	२८९५
१६५२	एयर फोर्स स्टेशन, मिदनापुर	२८९५–९६
१६५३	सेना के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक	२८९६
१६५४	जम्मू और श्रीनगर में आकाशवाणी केन्द्र	२८९६
१६५५	भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना	२८९७
१६५६	हवाई जहाज के निर्माण में काम आने वाली स्याही की खोज	२८९७
१६५७	लुधियाना में मजदूरों का स्वास्थ्य बीमा	२८९७
१६५८	कोठागुडियम में कर्मचारी क्वार्टर	२८९८
१६५९	आसाम में गुप्त रेडियो स्टेशन	२८९८
१६६०	भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	२८९८–९९
१६६१	प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा अमरीका का दौरा	२८९९
१६६२	वायुसेना के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	२८९९
१६६३	चीन के प्रधान मंत्री का पाकिस्तान का दौरा	२८९९
१६६४	राजस्थान में बेरोजगार महिलायें	२९००
१६६५	नये जहाज	२९००
१६६६	आकाशवाणी नई दिल्ली के कर्मचारी	२९०१
१६६७	कोयम्बटूर में आकाशवाणी का केन्द्र	२९०१
१६६८	ग्लाइडर	२९०१
१६६९	"पैट्रियाट" के लिये अखबारी कागज का कोटा	२९०२
१६७०	पटसन मजूरी बोर्ड	२९०२
१६७३	सैनिक स्कुल	२९०२–०३
१६७४	अन्तर्दहन इंजन	२९०३
१७ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर में शुद्धि		२९०३–०४

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
1639	Gallantry Awards to Ex-Servicemen	2890
1640	Trap and Skeet Gun	2891
1641	Technical Persons in Orissa	2891
1642	Accidents in Talcher Coal Mines	2891
1643	Employment Offices in Orissa	2892
1644	Orissa Textile Mills	2892
1645	Indian woman killed in Aden	2892
1646	Development of Atomic Energy	2893
1647	Situation in Laos	2893-94
1648	Raid by Pakistanis	2894
1649	Visit of Foreign Dignitaries	2894-95
1650	Private Sector Employees of Delhi	2895
1651	Women on U.P. Employment Register	2895
1652	Air Force Station, Midnapur.	2895-96
1653	Medical and Engineering Graduates for Army.	2896
1654	A.I.R. Stations at Jammu & Srinagar	2896
1655	I.A.F. Plane Air crash	2897
1656	Research in Ink for use in Aircraft manufacture	2897
1657	Health Insuarance of Labour in Ludhiana	2897
1658	Staff Quarters at Kothagudwm	2898
1659	Secret Radio Station in Assam	2898
1660	I.A.F. Plane Crash	2898-99
1661	Defence Minister's Visit to U.S.A	2899
1662	Arrest of I.A.F. Personnel	2899
1663	Chinese Premier's Visit to Pakistan	2899
1664	Unemployed Women in Rajasthan	2900
1665	New Ships	2900
1666	Employees of AIR New Delhi	2901
1667	A.I.R. Station at Coimbatore	2901
1668	Gliders	2901
1669	Newsprint Quota for 'Patriot'	2902
1670	Jute Wage Board	2902
1673	Sainik Schools	2902-03
1674	Internal Conbustion Engines	2903
	Correction of Answer to Unstarred Question No. 268 dated 17th February, 1964	2903-04

विषय	पृष्ठ
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	२९०४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२९०४
प्राक्कलन समिति	
पचासवां प्रतिवेदन	२९०४
अनुदानों की मांगें	२९०५–३०, २९३३–३४
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	२९०५—१८
श्री विश्वनाथ राय	२९०५
श्रीमती लक्ष्मीबाई	२९०५–०६
श्रीमती चावदा	२९०६–०७
श्री केप्पन	२९०७–०८
श्री बालकृष्ण सिंह	२९०८–०९
श्री के० दे० मालवीय	२९०९
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	२९०९
श्री यमुना प्रसाद मंडल	२९१०
श्री रतनलाल	२९१०
श्री राम सहाय पाण्डेय	२९१०
श्री विश्राम प्रसाद	२९१०–११
श्री स्वर्ण सिंह	२९११–१८
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	२९१९–३०, २९३३–३४
डा० सारादीश राय	२९१९–२१
श्री प्र० के० देव	२९२१–२८
श्री हिम्मत सहका	२९२८–२९
श्री ललित सेन	२९२९–३०, २९३३–३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२९३१–३३
हैवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरी का बन्द किया जाना	
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	२९३१
श्री वि० सुब्रह्मण्यम	२९३१–३३

Subject	Page
Re : Calling Attention Notices	2904
Papers laid on the Table	2904
Estimates Committee	2904
Fiftieth Report	2904
Demands for Grants	2905—30, 2933–34
Ministry of Food and Agriculture	2905—08
Shri Bishwanath Roy	2905
Shrimati Laxmi Bai	2905–06
Shrimati Chavda	2906–07
Shri Kappen	2907–08
Shri Bal Krishna Singh	2908–09
Shri K. D. Malaviya	2909
Shri Siddhanti	2909
Shri Y. P. Mandal	2910
Shri Rattan Lal	2910
Shri R. S. Pandey	2910
Shri Vishram Prasad	2910–11
Shri Swaran Singh	2911—18
Ministry of Irrigation and Power	2919—30, 2933–34
Dr. Saradish Roy	2919—21
Shri P. K. Deo	2921—28
Shri Himatsingka	2928–29
Shri Lalit Sen	2929–30, 2933–34
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Closure of Heavy Electricals Factory	2931—33
Shri Amar Math Vidyalankar	2931
Shri C. Subramaniam	2931—33

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English / Hindi]

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, ३० मार्च, १९६४/१० चैत्र, १८८६ (शक)

Monday, March 30, 1964/Chitra 10, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

{**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair.*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष

+

*७९६. {**श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री हेम बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नाथ पाई :
श्री बृजराज सिंह :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री रामपुरे :
श्री कोया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में डाक द्वारा भेजे जाने वाले रुपये का **गबन** करता रहा है ;

(ख) इस गिरोह ने कितने रुपये का गबन किया है ;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(घ) क्या इस कार्य में कुछ सरकारी कर्मचारियों का भी हाथ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ऐसे किसी गिरोह का पता नहीं चला है। तथापि, नई दिल्ली डाक घर के एक क्लर्क के बारे में पता चला था कि उसने ३ मनी आर्डरों की मौलिक प्रविष्टियां मिटा कर नई प्रविष्टियां जोड़ दी थीं, रुपया पाने वाले का नाम बदल दिया था तथा प्रत्येक मनी आर्डर की राशि बदल कर ६०० रुपये कर दी थी। इनमें से एक मनी आर्डर का भुगतान, जिसमें नई प्रविष्टियां जोड़ दी गई थीं, ९ दिसम्बर, १९६३ को हो गया था परन्तु अन्य दो मनी आर्डरों का भुगतान से पहले ही पता चल गया था। इसलिये रोक लगाई गई और मनी आर्डर पाने वाले तथा नई दिल्ली डाकघर के एक क्लर्क को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। कुल ६०० रुपये गबन किये गये थे परन्तु वह गबन सरकारी धन का था। जांच करने से पता चला कि संभवत: ये सारी मनी आर्डर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के नाम थे और प्रत्येक १ रुपये का था। इन मनी आर्डरों का क्योंकि भुगतान नहीं हुआ है, डाक और तार विभाग प्रतिलिपियां जारी करेगा और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में इनका भुगतान कर देगा।

Shri Vishram Prasad : Will the hon. Minister be pleased to state whether, in addition to what has been given in this statement, many receipts of National Defence Fund are missing at Benaras and Delhi ; if so, what action has been taken by Govt. in this connection and how much money has been misappropriated ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस प्रश्न का सम्बन्ध एक विशेष विषय से है अर्थात् डाक द्वारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में भेज गये रुपये का गबन।

Shri Vishram Prasad : Will a Committee representing all the parties be appointed to look into the disbursement and utilisation of the National Defence Fund ?

Mr. Speaker : That is a different matter.

Shri Vishram Prasad : It is concerned with this.

Mr. Speaker : No. It is not a general question regarding the National Defence Fund. It is about the misappropriation of money sent for it by post. You cannot ask any general question about it.

श्री कपूर सिंह : जो मदें बताई जा चुकी हैं क्या उनके अलावा भी बड़े पैमाने पर इस कोष का गबन हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यही उन्होंने कहा है हमारा सम्बन्ध केवल उस रुपये से है जो डाक द्वारा भेजा गया और उसका गबन हुआ।

श्री कपूर सिंह : क्या गबन बड़े पैमाने पर हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री ओंकार लाल बेरवा ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the parties to which the persons who have been arrested belong ?

The Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri) : They do not belong to any party ?

Shri Kapur Singh : Do they not belong to Congress ?

Shri Lal Bahadur Shastri : No. They belong neither to the Socialist Party nor to the Praja Socialist Party ; neither to the Communist Party nor to the Congress.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, part (d) of the question has not been answered. I want to know whether Govt. employees are also involved in it or not.

Mr. Speaker : The statement points out that there were two persons—a clerk and the payee of the money order.

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि विवरण में भी यह माना गया है कि इन जालसाजों ने हमारे इतिहास की अत्यन्त विकट घड़ी में ऐसे नीच काम किए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध जो पकड़े गए हैं कड़े कदम उठाये हैं या उठाने का विचार किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उन पर मुकदमा चलाया गया है और मुझे आशा है कि उन्हें कड़ा दंड मिलेगा ।

Shri Tyagi : May I know the amount of total collection in the National Defence Fund till today and the persons who have been given the responsibility of spending this amount ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० सी० बरुआ ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब तक कोष की लेखा परीक्षा की गई है और यदि हां, तो किस ने की है और कब ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी सामान्य प्रश्न है ।

Shri Braj Bihari Mehrotra : Will those persons who have misappropriated the money of National Defence Fund be challaned under the Defence of India Rules or the ordinary Law ?

Shri Lal Bahadur Shastri : In accordance with the ordinary law.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या किसी अन्य राज्य से ऐसे मामलों की सूचना मिली है और क्या इसके अलावा किन्हीं अन्य डाकघरों में भी टोह लगाई गई है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अन्य राज्यों का हमें पता नहीं है क्योंकि मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें स्वयं ऐसी घटनाओं को देखेंगी और जो आवश्यक होगा करेंगी । जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, केवल यही एक मामला ध्यान में आया है ।

श्री अ० प्र० जैन : प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान के नाते मैंने वित्त मंत्री को कुछ निकायों के विरुद्ध शिकायतें भेजी थीं ताकि गबन के बारे में जांच की जाय । क्या इस सम्बन्ध में कुछ किया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे सूचना चाहिये ।

श्री अ० प्र० जैन : मुझे बाद में जानकारी दे दीजिए ।

Shri Kachhavaiya : The hon. Minister has just stated that SP, PSP, Congress and the Communist Party have no hand in it.

Mr. Speaker : He said that no party has any hand in it.

Shri Kachhavaiya : He has named four parties. Is it to be understood that Jan Sangh is involved ?

Mr. Speaker : Jan Sangh also is not involved. If the hon. Member reads the statement, he would know about it.

Shri Yashpal Singh : It is evident from the reply that money has been misused. How much T.A. and D.A. has been charged by the people in this connection ?

Mr. Speaker : That does not arise out of this question.

दक्षिणी रोडेशिया में रंगभेद

\+

*७९७. श्री श्रीनारायण दास :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव
श्री धवन :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री मणियंगाडन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हिम्मतसिंहजी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेलिसबरी (दक्षिण रोडेशिया) में भारतीय प्रैस सहचारी और कार्यवाहक भारतीय आयुक्त की पुत्री को केरोई स्थित एक यूरोपियन होटल में हाल ही में रंग भेद की नीति का शिकार होना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह बात हुई थी ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । २० दिसम्बर, १९६३ को ।

(ख) यह घटना दक्षिण रोडेशिया में सेलिसबरी से लगभग १२० मील दूर केरोई होटल, केरोई में हुई थी जहां राजनयिक पहचान पत्र दिखाने के बावजूद सहायक प्रेस सहचारी को इस कारण

ठहरने नहीं दिया गया कि प्रबन्धकों के पास प्रवेश अधिकार सुरक्षित है। बाद में पुष्टि हो गई कि मनाही जाति के आधार पर की गयी थी।

(ग) कार्यवाहक आयुक्त ने शीघ्र ही प्राधिकारियों से विरोध प्रकट किया जिन्होंने घटना के लिये औपचारिक क्षमा-याचना की। उन्होंने यह भी कहा कि वे होटल के प्रबन्धक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह की यही एक घटना नहीं है बल्कि पहले भी कुछ घटनायें हो चुकी हैं और उस समय क्या कार्यवाही की गयी थी तथा क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा था ?

श्री दिनेश सिंह : इन इक्की-दुक्की घटनाओं के बारे में बिना जाने मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे याद है कि ६ या ७ वर्ष पहले या उससे भी पहले ऐसी घटना हुई थी। बिना जानकारी के मैं नहीं बता सकता कि उस मामले में क्या हुआ था।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि बावजूद राजनयिक पत्र दिखाने के उन्हें वहां ठहरने नहीं दिया गया ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां। मुख्य उत्तर में मैंने यह बताया है।

श्री हेम बरुआ : दक्षिण रोडेशिया के राष्ट्र मण्डल के साथ घनिष्ट सम्पर्क को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री जुलाई में लन्दन में होने वाले राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में इस विषेय पर बातचीत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होने खेद प्रकट किया है और क्षमा मांग ली है।

श्री दिनेश सिंह : और वे कानूनी कार्यवाही करने के बारे में सोच रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : As far my information goes, this is the third or fourth incident. First of all, our ambassador in USA had to face such an incident and later on it happened to our Press Attache in England and his children. I want to know what action Government propose to take besides sending protest notes.

Mr. Speaker : What else can it do ? The Government sent a letter and they have admitted their fault and are now taking action against him.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दक्षिण रोडेशिया सरकार ने होटल के मालिक के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही के बारे में सरकार को विस्तार में लिखा है तथा उसने इस बारे में पिछली बार कब हमारी सरकार को लिखा था ?

श्री दिनेश सिंह : मामले को तैयार किया जा रहा है। उन्होने हमें कहा है कि हम सहायक प्रेस सहचारी को प्राप्त राजनीयिक उन्मुक्ति का अधित्याग कर दें और हमने ऐसा कर दिया है। मामला तैयार हो रहा है।

औद्योगिक 'समझौता' संकल्प

+

*७९८. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा जुलाई, १९६३ में जिस औद्योगिक 'समझौते' संकल्प का पुनर्विलोकन किया गया था, क्या वह श्रम संगठनों द्वारा पूर्णतः क्रियान्वित किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो किस किस संगठन ने इसका उल्लंघन किया ; और

(ग) क्या ऐसे संगठनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी थी ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) (क) और (ख) लगभग सभी श्रम संगठनों ने औद्योगिक समझौता संकल्पों के अन्तर्गत अपने दायित्वों का पालन किया है। तथापि, हाल में ही यह प्रवृत्ति पाई गई है कि कुछ संगठनों ने समझौता संकल्प के अन्तर्गत सौंपे गए अपने उत्तरदायित्वों से बचने की कोशिश की है।

(ग) जांच के बाद प्रमाणित किए गए समझौता संकल्प का उल्लंघन करने सम्बन्धी सभी मामले उल्लंघन करने वाले संगठनों के ध्यान में लाये गये हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या हाल में इस दिशा में कोई प्रयत्न किया गया है कि विभिन्न कार्मिक संघों के प्रतिनिधि विशेषकर इस मामले में उल्लंघन करने वाले कार्मिक संघों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर इस बारे में विचार-विमर्श करें ताकि इन उल्लंघनों की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री चे०रा०पट्टाभिरामन : वस्तुत: वे कार्मिक संघ भी जिन्होंने सहयोग नहीं किया है, समझौता संकल्प के अन्तर्गत उन को मिलने वाले लाभों की प्राप्ति के लिये मंत्रालय से प्रार्थना करते रहते हैं। पिछले सप्ताह में भी, अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर सभा द्वारा कुछ समस्याओं के बारे में समझौता संकल्प तथा आचरण संहिता की सहायता की प्राप्ति के लिये प्रार्थनायें की गई हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच पड़ताल की है कि किन कारण-वश समझौता संकल्प का उल्लंघन किया गया और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा संकल्प का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बता चुका हूं। यह सच है कि समझौता संकल्प के अपनाने की प्रारम्भिक अवस्था में जो तात्कालिक जोश दिखाया गया था, वह धीरे धीरे कम हो गया है। पहिले के १०० महीनों के दौरान जितने जिन दिनों की हानि हुई उसकी मासिक औसत संख्या ६ लाख थी जब कि नवम्बर, १९६२ तथा दिसम्बर, १९६२ में यह क्रमशः १.२ लाख तथा २.३ लाख थी। जनवरी और फरवरी, १९६३ के दौरान जिन दिनों की और भी कम हानि हुई। जनवरी में यह संख्या ०.४ लाख तथा फरवरी में ०.३ लाख थी। मार्च, १९६३ के बाद यह हानि नहीं होने दी गई। अगस्त, १९६३ में यह हानि ३.२८ लाख दिन हुई। इससे बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री वारियार : क्या श्रम सगठनों ने अनेक बार सरकार को यह सूचित किया है कि नियोजक बारबार उल्लंघन कर रहे हैं और यदि सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो यदि मजदूर कोई कदम उठायें, तो उसके लिये श्रम संगठन उत्तरदायी नहीं होंगे ?

श्री चे० रा०पट्टाभिरामन : वस्तुत : औद्योगिक समझौता संकल्प एक व्यापक संकल्प है, जो कि कर्मचारियों पर ही नहीं अपितु नियोजकों पर भी लागू होता है। अत:, जहां कहीं भी उल्लंघन की कोई घटना हुई है और वह हमारे ध्यान में लाई गई है, हमने नियोजकों का ध्यान उसकी ओर दिलाया है तथा बहुत से मामलों में उन्होंने दिये गये अनुदेशों का पालन किया ।

श्री रामचन्द्र उलाका : भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय स्थायी समिति की अगस्त १९६३ से लेकर आज तक कितनी बैठकें हुईं जिन में सामान्य श्रम स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया तथा उसके द्वारा की गई सिफारिशें तथा सुझाव क्या हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : स्थायी समिति की अगस्त, १९६३ में (५ अगस्त, १९६३ को) तथा बाद में मार्च, १९६४ में बैठक हुई। समिति प्राय : समूचे मामले पर विचार करती रहती है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : वे "कुछ संगठन" कौन से हैं और क्या वे अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर सभा से सम्बन्ध रखते हैं ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि वे अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर सभा हैं ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या इस संकल्प की क्रियान्विति के लिये सरकार का पुन: सम्मेलन बुलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जैसा मैंने बताया, यह बराबर किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा इस संकल्प का प्राय: उल्लंघन किया जा रहा है जिसके कारण इन उद्योगों में बराबर श्रमिकों के झगड़े होते रहते हैं और यदि हां, तो इन बातों को रोकने के लिये सरकार ने वस्तुत: क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी यह संकल्प लागू होता है और हमने इन उपक्रमों का ध्यान इस ओर दिलाया है। मैं अलग अलग आंकड़े दे सकता हूं । श्रीमान्, यह एक लम्बी सूची है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हेडा : माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये आंकड़ों में क्या वे घंटे भी शामिल हैं जिनकी कि धीरे धीरे काम करने की नीति काम छोड़ कर नारे लगाने के कारण हानि हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : कारखानों के ठीक सामने खड़े होकर नारे लगाना हाल ही में शुरू किया गया है और इससे जो हानि हुई है उसको अभी तक शामिल नहीं किया गया है ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच नहीं है कि अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस तथा, मेरे विचार से, हिन्द मजदूर सभा ने भी सरकार के विचारार्थ कुछ ठोस सुझाव दिये हैं ताकि औद्योगिक समझौता संकल्प पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा सके ? यदि हां, तो सरकार ने इन सुझावों पर विचार विमर्श करने तथा उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हिन्द मजदूर सभा ने मार्च में आयोजित की गई अन्तिम बैठक में भाग लिया था। केवल अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फिर भी, मैंने ऐसे उदाहरण दिये हैं जब कि उन्होंने इस संगठन का लाभ उठाया है। उनके सुझावों पर बराबर ध्यान दिया जाता रहा है।

Shri Kachhavaiya : How many times has this Industrial Truce Resolution been violated by the employees and what action has so far been taken by Government against them?

श्री संजीवय्या : जहां तक कर्मचारी संघों का सम्बन्ध है, इन्होंने १८६ बार तथा नियोजकों ने २१४ बार संकल्प का उल्लंघन किया है।

श्री कपूर सिंह : क्या ये उल्लंघन करने वाले संगठन उन लोगों के प्रभाव में हैं जो कि देश के प्रति वफादार नहीं हैं ?

श्री संजीवय्या : मेरे विचार से इसका यह कारण नहीं है।

Shri Kachhavaiya : The number of times the employees have violated the Resolution has been given but the action taken against them has not been indicated.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : कुल संख्या ४०३ थी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री संजीवय्या : उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में लाये जाने पर हमारा कार्यान्विति तथा मूल्यांकन नामक विशेष विभाग कार्यवाही करता है। हम ऐसे मामलों को दोषी पक्षों के ध्यान में लाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे इस संकल्प को क्यों नहीं कार्यान्वित कर रहे हैं। प्रायः, ये पक्ष ठीक मार्ग पर आ जाते हैं।

Shri K. N. Tiwary : There are reports in the press today to the effect that there has been a strike in the Heavy Electricals Factory, Bhopal and the factory has been closed. Has this thing occurred as a result of the violation of the Resolution by the Factory or any Union has violated the agreement entered into by it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya) : This news has appeared only in today's papers and we are trying to collect the information.

संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय राजदूत

+

†७९९. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काहिरा स्थित भारतीय राजदूत ने काहिरा में श्री चाउ-एन-लाई द्वारा आयोजित स्वागत-समारोह मे भाग लिया था; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पहले उसने सरकार से अनुदेश ले लिये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अपने राजदूतों को हमारी सामान्य हिदायतें ये थीं कि चीन के प्रधान मंत्री जिन देशों का दौरा करें उनकी सरकारों द्वारा आयोजित औपचारिक समारोहों में वे भाग लें । इनमें चीनियों द्वारा आयोजित समारोह शामिल नहीं थे । फिर भी, हिदायतों के बारे में गलतफहमी हो जाने के कारण संयुक्त अरब गणराज्य स्थित हमारे राजदूत ने श्री चाउ-एन-लाई द्वारा आयोजित स्वागत-समारोह मे भाग ले लिया ।

श्री हेम बरुआ : उपमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हमारे प्रतिनिधि ने श्री चाउ-एन-लाई द्वारा दी गई दावत में भाग लिया । इस प्रकार की यह दूसरी घटना है, पहली घटना पेकिंग में हुई थी । इसके अतिरिक्त अब यह सूचना मिली है कि अल्जीरिया में अफ्रीकी-एशियाई एकता परिषद् के सदस्यों के लिये आयोजित स्वागत समारोह में चीनियों ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल को सम्मिलित नहीं किया तथा इस बात का परिषद् की बैठक में बड़े जोर शोर से प्रचार किया गया । हमारी सरकार के झुक जाने के इन उदाहरणों को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन बातों से इस विश्वास की पुष्टि नहीं होती है कि चीन को खुश करने की हमारे प्रधान मंत्री की नीति का यह जीता जागता प्रमाण है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो राय का एक मामला है । क्या वह उस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ?

श्री हेम बरुआ : मैं यही बात तो जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य प्रश्न नहीं करेंगे तो फिर उनको अवसर नहीं मिलेगा ।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका अर्थ तुष्टिकरण नहीं है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यह स्पष्टतया तुष्टीकरण नहीं है । और न ही माननीय सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार सोच सकता है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजे गये प्रतिनिधि मंडल ने हाल में ही सर पैट्रिक डीन द्वारा दिये गये भोज समारोह में भाग लेने से इस कारण

इंकार कर दिया था कि उन्होंने काश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोला था---वैसे हमारे प्रतिनिधिमंडल ने यह बहुत अच्छी बात की---क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार द्वारा दो विभिन्न प्रकार की नीतियों का पालन क्यों किया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कौनसी दो विभिन्न प्रकार की नीतियां ?

अध्यक्ष महोदय : दो विभिन्न प्रकार की नीतियों से उनका अर्थ यह है कि एक जगह तो उन्होंने समारोह में भाग लिया तथा दूसरी जगह पर नहीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस विशेष मामले मे काहिरा स्थित हमारे राजदूत उनको दी गई हिदायतों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाये अर्थात् उनसे यह कहा गया था कि वे संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार द्वारा आयोजित औपचारिक समारोहों में भाग लें, चीनियों द्वारा आयोजित समारोहों में नहीं । वह इस बात को ठीक प्रकार समझ नहीं पाये ।

श्री हेम बरुआ : क्या हिदायतें अस्पष्ट भाषा में दी गई थीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वह उनको ठीक प्रकार समझ नहीं पाये ।

श्री हेम बरुआ : बुद्धि की कमी के कारण या किसी अन्य कारणवश ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, नहीं । यह केवल गलतफहमी के कारण हुआ ।

Shri Yashpal Singh: If a person of the status of an Ambassador or any responsible member of our political Missions misunderstands us and does not abide by the instructions given by Govt. is any action taken against him and has Government taken any action in this particular case ?

Shri Jawahar Lal Nehru : No, Sir.

श्री स्वैल : क्या स्पष्ट है कि संयुक्त अरब गणराज्य में श्री चाउ-एन लाई द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में हमारे राजदूत के भाग लिये जाने को सरकार ने पसन्द नहीं किया है । इस बात को देखते हुए कि चीनी अधिकारियों को भारत पर से उड़ान करने की सरकार ने बार-बार अनुमति दी है, क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि चीनी अधिकारियों द्वारा आयोजित स्वागत समारोहों मे हमारे अधिकारियों द्वारा भाग लिये जाने से बहुत हानि होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका उत्तर भला मैं कैसे दे सकता हूं ?

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार द्वारा दी गई स्पष्ट हिदायतों को ठीक प्रकार न समझने के बारे में सम्बन्धित प्रतिनिधि ने कोई स्पष्टीकरण दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य चाहें, तो प्रतिनिधि को तार द्वारा भेजी गई हिदायतें मैं पढ़कर सुना सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो यह जानना चाहते हैं कि क्या उसने कोई स्पष्टीकरण दिया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि मैं उनको पढ़ दूं तो माननीय सदस्य स्वयं यह जान लेंगे कि इन हिदायतों को ठीक प्रकार से न समझ पाने की सम्भावना थी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से प्राप्त हिदायतों को ठीक प्रकार से न समझ पाने के लिये भारत के राजदूत ने क्या स्पष्टीकरण दिया है और क्या मंत्रालय इस प्रकार

का एक सामान्य परिपत्र जारी करेगा अथवा उसने पहिले ही जारी कर दिया है कि हमारे राजनयिक कर्मचारी भविष्य में इस प्रकार के समारोहों में भाग न लें ताकि फिर कभी इस प्रकार की गलतफहमी पैदा न हो ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जा चुका है। बिल्कुल यही प्रश्न श्री श्रीनारायण दास ने पूछा था।

श्री त्यागी : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या राजदूत से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था और यदि हां, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह बात केवलमात्र गलतफहमी के कारण हुई।

श्री हरि विष्णु कामत: माननीय प्रधान मंत्री जी ने जारी की गई कुछ हिदायतों का उल्लेख किया। क्या मैं जान सकता हूं कि अक्तूबर, १९६० में आपातकाल की घोषणा तथा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, जिसके अन्तर्गत चीन को एक शत्रु देश घोषित किया गया है, के लागू होने के कितने दिन बाद हिदायतें जारी की गई थीं तथा क्या विदेश स्थित सभी राजदूतावासों को ये हिदायतें जारी की गई हैं या केवल इसी राजदूतावास को ? क्या वह हिदायतों की एक प्रति सभा-पटल पर भी रखने की कृपा करेंगे ताकि हम उनकी जांच कर सकें ?

श्री दिनेश सिंह : हिदायतें दिसम्बर, १९६२ में जारी की गई थीं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या प्रधान मन्त्री जी उन हिदायतों की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ये संदेश गोपनीय होते हैं तथा इनको सभा पटल पर रखना सामान्यतया वांछनीय नहीं होता। ये सन्देश केवल उन स्थानों पर भेजे गये थे जिनका कि ये विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति दौरा कर रहे थे। प्रत्येक स्थान पर ये नहीं भेजे गये थे। विदेशों में हमारे लगभग १०० राजदूतावास हैं और इन तमाम स्थानों पर किसी के जाने का प्रश्न नहीं था। अतः इनको सब स्थानों पर भेजने का प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यदि मैंने उनको ठीक प्रकार से सुना है तो थोड़ी देर पहिले माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वह सभा के समक्ष हिदायतें पढ़ कर सुना देंगे। अब वह कहते हैं कि ये हिदायतें गोपनीय हैं और पटल पर नहीं रखी जा सकतीं। उनके द्वारा पहिले कही गई यह बात कि वह उनको पढ़ देंगे इस बात से कहां तक मेल खाती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही समझा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वह उनको पढ़ कर सुना सकते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने ऐसा अवश्य कहा था। यदि माननीय सदस्य तथा आप चाहें, तो मैं अब भी उनको पढ़ कर सुनाने के लिये तैयार हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं सभा का समय बरबाद करना नहीं चाहता। यदि वह उनको पढ़ कर नहीं सुना सकते, तो वह उनको सभा पटल पर रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य आग्रह करते हैं, तो वे उनको सभा पटल पर रखने के लिये तैयार हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : हमारा आग्रह है ।

श्री कपूर सिंह : यदि हिदायतें गोपनीय हैं । तो फिर कोई कारण नहीं है कि उनको . . .

श्री हरि विष्णु कामत : वे गोपनीय नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इनको पटल पर रखने या न रखने के बारे में कोई निर्णय मैं प्रधान मंत्री जी पर छोड़ता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत: आपको सदन की मदद करनी चाहिये । माननीय प्रधान मंत्री जी उनको पढ़ कर सुनाने के लिये तैयार हैं और आपने स्वयं भी यही समझा है कि वे गोपनीय नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । उन्होंने तो केवल इतना कहा कि यदि माननीय सदस्य आग्रह करते हैं, तो वे उनको सभा पटल पर रखने के लिये तैयार हैं । माननीय सदस्य ने कहा कि वे इसके लिये आग्रह करते हैं परन्तु कुछ अन्य माननीय सदस्य कहते हैं कि इनको सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये । मैं इस बात को माननीय प्रधान मंत्री जी पर छोड़ता हूं । यदि वे यह समझें कि कोई हानि नहीं है, तो वे उनको पटल पर रख सकते हैं परन्तु यदि वे सोचते हैं कि ऐसा करना लोकहित में नहीं है, तो वे न रखें ।

श्री हरि विष्णु कामत : कम से कम पढ़ तो दें ।

श्री नाथ पाई : यह कहने का फिर क्या अर्थ हुआ है कि यदि माननीय सदस्य आग्रह करते हैं तो फिर इनको सभा पटल पर रखा दिया जायेगा . . .

श्री त्यागी : श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न है । ऐसे मामलों में, राजनयिक कागजात सामान्यतया पटल पर नहीं रखे जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । प्रत्येक आदमी इस बात को जानता है । क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि वह उनको पढ़ने के लिए तैयार है, इसलिये ये बात पैदा हुई । अन्यथा ये बात बिल्कुल भी नहीं उठती ।

Shri Prakash Vir Shastri : Is the hon. Prime Minister aware that while during the last Republic Day Parade on the 26th of January the President was awarding Param Vir Chakras to the widows of Major Thapa and Major Shaitan Singh, the Chinese representative had walked out of it ? If it is a fact, is it not proper on the part of the Government, keeping in view the prestige of India, to take fresh decisions in regard to such acts ? Is something being thought of in this regard ?

Shri Jawaharlal Nehru : Whenever need arises, we think over it.

Shri Ram Sewak Yadav : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : I think, it relates to this very question.

Shri Ram Sewak Yadav : Yes, Sir. When a question is asked in this House, we feel that it is your responsibility to give protection to our rights.

I want to point out that a correct answer has not been given to this question. A definite and correct reply should be forthcoming. Shri Shastri had asked that in view of such behaviour of China towards us, were we going to take any step in this regard or change our attitude ? A clear reply has not been given to it.

Mr. Speaker : Firstly, this question had no relevance to the main question. Secondly, because I allowed this question, the hon. Prime Minister replied that whenever such matters arose a note was taken of them.

नौ सेना के 'सी हौक' विमान की दुर्घटना

\+

*८००. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० कु० घोष :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री हिम्मतसिंहजी :
श्री प० ह० भील :
श्री सोलंकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आई० एन० एस० विक्रान्त' से सम्बद्ध भारतीय नौसेना का एक 'सी हौक' विमान कुरला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ; **और**

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां। छः जनवरी १९६४ को ।

(ख) दुर्घटना की कारणों की जांच करने के लिये एक जांच बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड का निष्कर्ष यह था कि विमान जब संकटावस्था में सन्ता क्रूज हवाई अड्डा, बम्बई, पर उतरने से पहले विमान चालक के काबू से बाहर हो गया। विमान चालक सुरक्षित कूद पड़ा और पैराशूट से उत्तर आया। बाद में विमान कुरला के समीप खुले क्षेत्र में गिर गया। बोर्ड के निष्कर्षों की विस्तृत रूप से जांच की जा रही है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह विमान भारतीय विमान बल के उन अन्य विमानों के समान आकाश में फटा, जो हुगली के समीप विमान में फटे थे और यदि हां, तो क्या सरकार को अन्य ऐसी दुर्घटनाओं में तथा इस दुर्घटना में तोड़ फोड़ का सन्देह है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जी नहीं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : यह बताया गया है कि विमान चालक पैराशूट के द्वारा सुरक्षित उतर आया। इस विस्फोट के बारे में उसने क्या कहा है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : उसका कथन यह है कि विमान सन्ता क्रूज हवाई अड्डे के समीप संकटावस्था में उतरने के लिये तैयार होने से पूर्व काबू से बाहर हो गया ।

Shri Yashpal Singh : Are Govt. in a position to state percisely the number of persons who were responsible in the case and what action is being taken by the Govt. in this matter ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): किसी व्यक्ति पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कोई प्रश्न नहीं था । ऐसा प्रतीत होता है कि इंजन में एक प्रकार की मशीनी गड़बड़ शुरू हुई और यह बेकाबू हो कर गिर गया, जिसका फल यह हुआ कि एक व्यक्ति की एक झोंपड़ी जल गयी और एक छोटा बच्चा जल गया, जो बाद में अस्पताल में मर गया । क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री कपूर सिंह: क्या यह मानने का कोई कारण है कि बार बार इस तरह की विमान दुर्घटनायें बार बार ईश्वरीय विधान या मानवीय कमजोरी के कारण नहीं होती, बल्कि अधिक भंयकर कारणों से होती हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है, परन्तु इस विशिष्ट मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि मशीनरी में कुछ गड़बड़ हो गई थी ।

श्री कपूर सिंह : क्या मा० मंत्री सामान्य प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को हाल ही में इन बार बार की दुर्घटनाओं के कारण की गई आलोचना का पता है कि विदेशों में जो विमान खरीदे जाते हैं वे घटिया या पुराने विमान होते हैं, यदि हां, तो यह कहां तक सच है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: मैंने ऐसी आलोचना पढ़ी है । मैं आशा करता हूं कि यह नवीन समिति सभवतः इस पहलू की भी जांच करेगी ।

Shri Rameshwaranand : Aircraft of I.A.F. has met with air accidents many times. Such news have not been read in respect of other countries. What is the reason for the increasing number of accidents involving an aircraft ? Is there some defect in them or there are Pakistani spies who spoil the aircraft, or our pilots do not know how to pilot it ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: मुझे अन्य देशों के तुलनात्मक आंकड़े मालूम नहीं हैं और मैं यह नहीं जानता कि क्या वे उनकी दुर्घटनाओं के बारे में सूचना प्रकाशित करते हैं या नहीं । परन्तु उपलब्ध सांरिव्यकीय सूचना के आधार पर, यह कहना कठिन है कि अन्य किन्हीं देशों की अपेक्षा हमारे देश में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है ।

Shri Rameshwaranand : My question should be answered in Hindi.

Mr. Speaker : The number of accidents with our aircraft is not more than that of similar accidents occurring in other countries.

श्री जोकीम आल्वा : माननीय मंत्री ने विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति का उल्लेख किया है । इस समिति में संसद के एक या दो सदस्य क्यों नहीं रखे गये और इस में केवल सरकारी कर्मचारियों का ही निगम क्यों बना दिया गया है ? कुछ संसद सदस्यों को उस में लिया जा सकता था और उनको शपथ दिलाई जा सकती थी । अथवा श्री जे० आर० डी० टाटा जैसे किसी स्वतंत्र को भी इस समिति में लिया जा सकता है, जिसे इस मामले में पर्याप्त अनुभव है ।

अध्यक्ष महोदय : मा० सदस्यों को यहां नामों का सुझाव नहीं देना चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: सभा में समिति की नियुक्ति की घोषणा करते समय भी मैंने कारण बताये थे कि क्यों इस सभा के सदस्यों को समिति में नहीं रखा गया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि बहुत अधिक सैनिक संचालन सांख्यिकी की जांच करनी होगी । यही मुख्य कारण है ।

विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्ग दर्शन ब्यूरो

+

*२०१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालय रोजगार, सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो के कार्यकलापों को चालू योजनावधि में बढ़ाने का विचार कर रही है जिससे सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में ये काम करने लगें ;

(ख) कितने विश्वविद्यालयों में अब तक इसकी व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि इन सुविधाओं का कितना लाभ उठाया जा रहा है ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :
(क) जी हां ।

(ख) बीस ।

(ग) इन सुविधाओं के उपयोग की सीमा के सम्बन्ध में रिपोर्टें लगातार आ रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन मार्गदर्शन ब्यूरो का विद्यार्थियों पर अब तक क्या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, जहां तक उनके द्वारा विशिष्ट पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के प्रश्न का संबंध है ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : यह वास्तव में दो शाखाओं में विभक्त है । पहला, व्यवसायिक मार्गदर्शन किया जाता है । पंजीयन के समय ३१९० विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जाता है । १६५४ छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाता है । ९८८५ विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को व्यवसायिक सूचना दी गई है । १४७२९ प्रार्थियों/छात्रों को व्यवसायिक सूचना दी जा चुकी है । दल मार्गदशन वार्ता २९५ दी गई है ।

जहां तक रोजगार सहायता कार्यों का संबंध है, पंजीबद्ध छात्रों की संख्या ११७८२ है । मुझे खेद है कि केवल ४६२ लोगों को रोजगार दिलाया गया है । घोषित रिक्त स्थानों की संख्या ७९७ है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन विश्वविद्यालयों में प्रयत्नों तथा अनुभूत प्रारंभिक कठिनाइयों को देखते हुए, क्या सरकार ने अन्य विश्वविद्यालयों को इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिये सलाह दी है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वास्तव में, पहला ब्यूरो दिल्ली में आरम्भ किया गया था । १६ विश्वविद्यालयों ने ये ब्यूरो आरम्भ किये हैं । अन्य सभी विश्वविद्यालय शीघ्र ही इसका अनुकरण करेंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम: क्या इन विश्वविद्यालय मार्गदर्शन ब्यूरो का रोजगार दफ्तरों के साथ सीधा सम्बंध होता है ताकि वे अधिक लोगों को रोजगार दिला सकें, क्योंकि रोजगार दिलाने का काम बहुत कम हुआ है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: वास्तव में योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गृह कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय आदि के बीच समन्वय करना अपेक्षित है, जिन सबको इसका पता है ।

श्री श्रीनारायण दास: क्या उन विश्वविद्यालयों ने, जिन्होंने ये ब्यूरो नहीं खोले, ऐसा कोई संकेत दिया है कि वे कब तक ब्यूरो खोल सकेंगे ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : ब्यूरो स्नातकोत्तर और स्नातक विज्ञान छात्रों को मार्ग दर्शन देता है । साधारण स्नातकों के नाम पंजीबद्ध कर लिये जाते हैं, किन्तु उसके पश्चात् उनके नाम रोजगार दफ्तरों को भेज दिये जाते हैं ।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : हमने वर्तमान योजना अवधि की समाप्ति तक सभी विश्वविद्यालय केन्द्रों में ऐसे ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय किया है ।

Preservation of Food in Hilly Areas

***802.** **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri D. J. Naik :
Shri Mohan Swarup :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in research regarding the preservation of food for jawans stationed in distant hilly areas ;

(b) whether any invention has been made regarding the drying up of food stuffs ; and

(c) if so, the extent of success achieved ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) (१) पहले से पकाये गये व हवा में सुखाये गये खाने के पदार्थों को बनाने ; तथा (२) सूखे खाद्य पदार्थों को जल्दी से जमाने सम्बन्धी तकनीकों को कई मदों के लिए भारतीय जलवायु के अनुकूल बना कर उन्हें अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

(ख) कोई आविष्कार नहीं किया गया है, किन्तु पश्चिमी देशों में सूखे खाद्य पदार्थों को जमाने की जो तकनीक प्रचलित है उसे ही भारतीय जलवायु के अनुसार अपना कर उसका आधुनिकीकरण किया गया है ।

(ग) रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संगठन को प्रयोगात्मक पैमाने पर कई प्रकार के अनाजों, सब्जियों, मांस, मछली और अण्डे सुखाने तथा उन्हें जल्दी जमाने के कामों में सफलता

मिली है । इनके नमूनों का युद्ध-स्थल में परीक्षण किया गया है और वे सन्तोषजनक सिद्ध हुए हैं ।

मैं यह भी बता दूं कि सेना ने कतिपय ऊंचाई पर लागू करने के लिये मांस के सम्बन्ध में यह तरीका स्वीकार कर लिया है ।

Shri Prakash Vir Shastri : It is understood that on account of keeping there food stuffs for long for consumption by jawans posted on Indian borders, vitamins contents of the foodstuffs are lessened and what steps have been taken to keep them in their original form ?

श्री रघुरामैया : वायु सुखाने और गहरे जमाने के तरीकों में बड़ा अन्तर है । वायु सुखाने की पद्धति में जो महत्वपूर्ण तत्व समाप्त हो जाते हैं उनको दूसरे तरीके में सुरक्षित रखा जाता है, अतः वह अधिक बेहतर तरीका है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Is any special endeavour being made to preserve the foodstuffs supplied to vegetarian jawans ?

श्री रघुरामैया : हमने सब्जियों के सम्बन्ध में भी इसी तरीके का विकास किया है । सेना को इसे यथावश्यकता लागू करना होता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा भोजन नितान्त निरामिषभोजियों के लिये भी तैयार किया जाता है ?

श्री रघुरामैया : दोनों मामलों में इसे पहले पकाया जाता है और गहरा जमाया जाता है । सामिष और निरामिष दोनों भोजनों पर यह बात लागू होती है ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री ने प्रशंसा के साथ इस बात का उल्लेख किया है कि चीनी सैनिक अकेली ट्यूब में सात दिन का भोजन अपने साथ ले जाता है । क्या हम हरावल की चौकियों पर तैनात अपने जवानों के लिये जीवित रहने का राशन विकसित करने या तैयार करने में सफल हुए हैं ? यदि हां, तो उस खुराक का अनुमानित भार कितना है, यदि यह सैनिक गोपनीय बात नहीं है, जिसे वे अपने साथ ले जा सकें और जो सात दिन तक उनके खाने के काम आ सके ?

श्री रघुरामैया : बहुत सी चीजें प्रयोगात्मक आकार पर हैं । परन्तु मैं बतला दूं कि लड़ाई के क्षेत्रों में कोको, दूध और ग्लूकोज से बना हुआ जीवित रखने योग्य राशन कुछ ऊंचाइयों पर सेना में अब जारी किया गया है ।

श्री राम चन्द्र उलाका : क्या वैज्ञानिकों के दल ने कोई रिपोर्ट भेजी है,जिनको हाल ही में उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर जवानों की खाद्य समस्या का अध्ययन करने के लिये भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं और उनके बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

श्री रघुरामैया : इसके बारे में अनुसंधान एवं विकास संगठन में सम्बन्धित अनुभाग द्वारा लगातार विचार किया जाता रहता है, जो यथार्थ अनुसंधान करने के लिये अफसरों को उन ऊंचाइयों पर भेजते हैं ।

श्री त्यागी : माननीय मंत्री ने बताया है कि प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर इसे सेना के मुख्यालय ने मंजूर भी कर लिया है । मंत्रालय को इस संरक्षित भोजन को बड़े पैमाने पर तैयार करने में कितना समय लगेगा ताकि यह भविष्य में उपलब्ध हो सके ।

श्री रघुरामैया : इस काम के लिये ५ टन का संयंत्र अभी मंजूर किया गया है और हम इस काम को तेज करेंगे ।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या ऊंचाइयों के अनुसार दी गई खुराक की मात्रा या किस्म में कोई अन्तर होता है ?

श्री रघुरामैया : किस्म में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये परन्तु मात्रा में अन्तर होना चाहिये क्योंकि उन ऊंचाइयों पर इसे ले जाना हल्का होगा, और चूंकि पकाना कठिन होता है, इसे पहले पकाया जाना चाहिये ।

Shri Kachhavaiya : Is it a fact that jawans are forced to take non-vegetarian food ?

श्री त्यागी : जी नहीं, ऐसा नहीं किया जाता ।

Shri Kachhvaiya : The Minister should reply.

Mr. Speaker : They are not forced. Shri Kachhavaiya should not have a doubt.

श्री कपूर सिंह : क्या पहाड़ी अभियानों के लिये परम्परागत सिख राशन को जो शताब्दियों तक अच्छा प्रमाणित हुआ है, जिसमें भुने हुए चने और गुड़ होता है, उचित उपयोग किया गया है ? (हास्य) यह हंसने का विषय नहीं है। उस राशन का सिखों ने शताब्दियों तक सफलतापूर्वक उपयोग किया है ।

श्री रघुरामैया : चपाती तथा अनाजों समेत इन चीजों पर प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि बम्बई में काम करने वाले एक खाद्य प्रौद्योगिकीय शास्त्री ने, जिसे दूसरे महायुद्ध में इस क्षेत्र में काम करने का पर्याप्त अनुभव है, संकट काल की घोषणा होने के तुरन्त पश्चात् अपने निःशुल्क सेवायें पेश कीं और अवैतनिक हैसियत में काम करने के लिये सरकार से कहा परन्तु उस पेशकश को अस्वीकार कर दिया, और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

श्री रघुरामैया : मुझे पता नहीं, किन्तु मैं यह बतला दूं कि प्रतिरक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर में और प्रतिरक्षा शरीरशास्त्र तथा व्यावहारिक विज्ञान संस्था, मद्रास में हमारे अपने विशेषज्ञ हैं, जो इस मामले में पर्याप्त योग्य हैं ।

Recruitment to Armed Forces

***803. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the personnel for Armed Forces have been recruited uptil now largely from a particular area *viz.* Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh;

(b) if so, whether Government are formulating any scheme to recruit personnel for Armed Forces from all parts of the country ; and

(c) if so, the features of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D. R. Chavan): (a) to (c) The Army used to have a class composition in which recruits from particular areas predominated. It is Government's policy that the rigid class composition in the Army should be gradually removed subject of course to the condition that it should in no way impair the fighting qualities of the Army and this should be done in a phased programme spread over a number of years. This is being done by throwing open new recruitment in greater proportion to categories from areas from which recruitment was limited in the past. The actual recruitment, however, will depend, on the response to the opportunities so offered from the recruits in those areas.

Shri Bibhuti Mishra : There was a time when Maurya empire of Bihar was very powerful. Because Bihari people took a leading part in fighting against Britishers in the mutiny of 1857, the Britishers refused to recruit Bihari people in the army. Is the present Govt. following the same old policy of Britishers to recruit less Biharies in the army ?

श्री य० रा० चह्वाण : यह कहना गलत है कि बिहार के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता ।

Shri Tyagi : Are there brave men in Bihar too ?

Shri Bibhuti Mishra : Yes, there are. Population of Bihar is four crores and sixty fie lakhs. The recruiting officer for I.A.F. is located in Calcutta, will the hon. Minister consider to feasibility of starting a recruiting head quarter or Centre for I.A.F. and I.N. in Patna ?

श्री दा० रा० चह्वाण : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : जिन क्षेत्रों से अब तक सेना में भर्ती नहीं होती थी, वहां से भरती कितनी हुई है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : सामान्य रूप से भरती अच्छी हुई है ।

Dr. Govind Das : During the British regime, martial and non-martial races were recognised. We do not believe in class distinction. I would like to know whether the old policy of making distinction between different races, is still continuing or it has been scrapped ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मैं इसकी व्याख्या कर दूं । यदि आप सेना, विविध सेनाओं के समूचे गठन को देखें तो आपको पता चलेगा न तो पहले जाति के आधार पर गठन था और न अब है। उदाहरणार्थ, सिगनलर, ए० सी० ए० एन० सी, ए० एम० ई० आदि जो सहायता करने वाले वर्ग हैं, में कोई जाति गठन नहीं है और वायु सेना, जल सेना आदि में भी जाति गठन नहीं है । जाति गठन का विचार पैदल और तोप खाने में था, किन्तु जाति गठन के इस विचार को धीरे धीरे हटाने की हमारी नीति के परिणामस्वरूप, हमने पैदल सेना के लगभग १९ नये बटैलियनों और तोपखाने की तीन यूनिटों में भरती शुरू कर दी है और देश के सभी लोग भरती किये जाते हैं। कुछ मामलों में भरती अच्छी हो रही है और कुछ अन्य मामलों में यह उतनी अच्छी नहीं है ।

श्री बासप्पा : यद्यपि जनरल तिम्मैया और कैरीअप्पा जैसे जनरल मैसूर राज्य के हैं, कर्नाटक राज्य से अफसरों और जवानों की भरती कम क्यों है ? क्या मैसूर सरकार ने कोई अभ्यावेदन दिया है ? क्या भरती अफसरों में कोई खराबी थी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : भरती अफसरों या लोगों में कोई त्रुटि नहीं, इन बातों पर ध्यान-पूर्वक जांच की जाती है। कुर्ग क्षेत्र से, अफसरों की भरती अच्छी होती है। मैसूर सरकार को इसका पता है और वह इस के बारे में हमसे पूछती भी है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या भरती के मामले में राज्य, धर्म या क्षेत्र को कोई प्राथमिकता दी जाती है या व्यक्ति की उपयोगिता को ही ध्यान में रखा जाता है ? किस नीति का पालन किया जाता है ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : नीति वही है ; ग्रुप और योग्यता ही मुख्य कसौटी है। परन्तु कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जिनको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा।

Shri Ram Sewak Yadav : Is recruitment for the army being made in huge number in hilly areas keeping in view the possibility of attack from China ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम उत्तरी आसाम और नेफा में भी प्रयत्न करेंगे किन्तु अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भरती के लिए बड़ा उत्सोह है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just now stated that the policy is that recruitment in the forces on the basis of provinces, castes should be stopped. Do propose to change the nomenclature of the battalions raised after the names of Sikh & Rajput communities ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हम नाम को बदलना नहीं चाहते किन्तु इन लोगों की सर्वथा पृथक भरती नहीं होती। उन रैजमेंटों में अन्य लोग भी भरती किये जाते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् के हमारे अनुभव से हमारी परम्परागत भरती नीतियों में किसी मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हुई है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: इस वर्ग गठन के विचार के अतिरिक्त, जिसे बदलना होगा . . .

श्री कपूर सिंह यह मेरा प्रश्न नहीं था। क्या ये परिवर्तन स्वनन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् की अवधि में हुए अनुभवों के अनुसार हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी हां।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षित युवक भी मेरे पास उत्तर प्रदेश से भी आये—जो शारीरिक दृष्टि से योग्य हैं—**(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय छाती नापने के लिये कोई भरती अफसर नहीं होता।

श्री हेम बरुआ : मुझे खेद है ; यह स्वतः आया। वे शारीरिक दृष्टि से योग्य भी हैं ; किन्तु उनको केवल इसी कारण भरती नहीं किया जाता क्योंकि उनका अंग्रेजी का उच्चारण स्टैंडर्ड का नहीं और यदि ऐसी बात है, तो क्या सरकार इन कसौटियों को हटाने का विचार करती है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मुझे याद है कि मैंने इस सभा को गत वर्ष आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है। हमने ऐसी हिदायतें जारी की हैं कि अंग्रेजी के सम्बन्ध में कोई वहम पूर्ण महत्व नहीं दिया जाना चाहिये किन्तु मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश ने अफसरों की भरती के मामले में बड़ी भरती दी है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इन तीन राज्यों के अतिरिक्त, जिनका उल्लेख इसके सम्बन्ध में किया गया है, भरती के मामले में मध्य प्रदेश की प्रतिक्रिया कैसी है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : काफी अच्छी ।

Shri Jagdev Singh Sidhanti : It appears to be a good argument that people should be recruited in the Army without any regard to class or creed, but the people who have been fighting battles after battles traditionally from generation to generation have some special qualities. Is any consideration given to that fact by the Govt. ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जिन लोगों को सेना में भरती होने की परम्परागत रुचि होती है, उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी होती है और निश्चय ही उनकी योग्यताओं को कुछ मान्यता दी जानी चाहिये ।

श्री पें० वेंकटा सुब्बैया : क्या सरकार ने सेना में अधिक गोरखाओं को भरती करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है और यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : : केवल भरती करने का प्रश्न ही नहीं है, यह सामान्यतया हमारी आवश्यकताओं और उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है ।

Shri Dhuleshwar Meena : A delegation from Rajasthan had met the hon. Minister in connection with the formation of one Meena Corps Division under the proposed programme for raising six new Divisions. The Minister had also made a statement in the House in this connection some time back. What progress has since been made in this direction ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

बिना विभाग के मंत्री

*८०४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार बिना विभाग के मंत्री को उनके द्वारा क्या काम सौंपा गया है ; और

(ख) उनके अधीन यदि कोई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं तो कितने ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

३१ जनवरी, १९६४ के अपने आदेश द्वारा राष्ट्रपति ने निदेश दिया था कि बिना विभाग के मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, अणु शक्ति विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के काम से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो प्रधान मंत्री समय समय पर उन्हें सौंपें । राष्ट्रपति के इस आदेश के अधीन प्रधान मंत्री द्वारा जारी किये गये निदेश के अनुसार बिना विभाग के मंत्री उन कागजों को देखते हैं तथा निबटारा करते हैं जो प्रधान मंत्री को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, अणु शक्ति विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय से आते हैं । जब आवश्यक होता है, वह प्रधान मंत्री से विशिष्ट आदेश लेते हैं ।

निजी सेविवर्ग के अतिरिक्त उन्हें कोई विशेष कर्मचारी नहीं दिये गये हैं। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय आवश्यक सचिवीय सहायता देते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पहले श्री टी० टी० कृष्णमाचारी बिना विभाग के मंत्री थे और स्वीकार कर लिये गये पद के समर्थन में दिये गये औचित्य के बावजूद बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले में भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है अथवा पिछले अनुभव से हमने कुछ सीखा है और पाया है कि बिना विभाग के मंत्री का कोई लाभ नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि पहले हमें अनुभव हो चुका है। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को बिना विभाग का मंत्री बनाया गया था और बाद में देखा गया कि उन्हें कोई और विभाग देना पड़ा था, कि वह अनुभव अच्छा या व्यवहारिक नहीं पाया गया था—इस बारे में वह जो कुछ भी सोचते हैं—और जानना चाहते हैं कि क्या हम ने इस अनुभव से कुछ सीखा है और अन्त में वह कहते हैं कि बिना विभाग के मंत्री का कोई लाभ नहीं है।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): बिना विभाग के मंत्री जब कुछ कर रहे होते हैं तो अच्छे होते हैं। जब वह कुछ और करने लगते हैं तो वह बिना विभाग के मंत्री नहीं रह जाते। इस मामले में, बिना विभाग के मंत्री बड़ा उपयोगी काम कर रहे हैं जिसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूं।

Shri Tyagi : Anyhow you have praised atleast one person.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री ने इस सभा में, दूसरी सभा में तथा बाहर दिये गये सुझावों पर क्या विचार किया है कि बिना विभाग का मंत्री वर्तमान स्थिति का कोई इलाज नहीं है और प्रधान मंत्री के हितों में तथा देश के सर्वोच्च हितों में एक शक्तिशाली उप-प्रधान मंत्री अवश्य होना चाहिए ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह प्रश्न अभी मेरे सामने नहीं आया है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बिना विभाग के मंत्री का काम अस्थायी है या इसे स्थायी बना देने का प्रस्ताव है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस तरह की व्यवस्था स्थायी नहीं हुआ करती है। जैसाकि मैंने कहा, दूसरा सवाल पैदा नहीं हुआ है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री सभा को आश्वासन दिलाने या पक्की तौर से यह बताने की स्थिति में हैं कि उन्होंने पूरी तरह . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि आम तौर पर हम ऐसे आश्वासन नहीं मांगते।

श्री हरि विष्णु कामत : इसीलिये मैंने "बताने" कहा है—कि क्या वह अपनी हाल ही की बीमारी से पूर्णतः ठीक हो गये हैं और यदि दुर्भाग्यवश नकारात्मक हो तो क्या ऐसे समाचारों का कोई आधार है कि जिस समय बिना विभाग के मंत्री को नियुक्त किया गया था तो यह केवल

राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक कदम था कि आपातकाल के कारण पड़े भारी बोझ को देखते हुए एक उप-प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाये जैसा कि स्वतंत्रता मिलने के शीघ्र बाद एक उप-प्रधान मंत्री था ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जब दो तीन अजीब से सवाल जोड़ दिये जाते हैं तो मैं नहीं जानता कि क्या जवाब दूं ?

श्री हरि विष्णु कामत : ये एक ही प्रश्न के भाग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब सदस्य एक से अधिक प्रश्न एक साथ पूछते हैं तो मैं मंत्री को केवल एक का ही जवाब देने की आज्ञा दूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : जब वे आपस में गुत्थे हुए हों तो आप उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं ?

Shri Bagri : Mr. Speaker, did the Prime Minister feel its necessity during his illness ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पिछला प्रश्न कुछ उप-प्रधान-मंत्री के बारे में था । यह सवाल अभी पैदा नहीं हुआ हैं । मेरे ख्याल में अभी यह पैदा नहीं हुआ और इसलिए इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है । लेकिन जहां तक बिना विभाग के मंत्री के काम के बारे में सवालों का सम्बन्ध है, सभा महसूस करेगी कि प्रधान मंत्री का काम भारी होता है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Always or only now ?

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया कि क्या वह पूरी तरह स्वस्थ हो गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इतने उत्सुक हैं तो उन्हें यहां सवाल पूछने की बजाय प्रधान मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिये उनके पास जाना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, यह सार्वजनिक महत्व का विषय है । समाचारपत्रों में इसकी चर्चा हो रही है । विदेशी समाचारपत्रों में भी इस बारे में लिखा जा रहा है । यह कोई निजी मामला नहीं है ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : अपनी सेहत के बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल है । मैं समझता हूं कि मैं काफी ठीक हो गया हूं लेकिन निश्चित रूप से यह कहना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं या ऐसी कोई और चीज़ । प्रधान मंत्री के बहुत से ऐसे कर्तव्य होते हैं जो भारी होते हैं और इसलिये बिना विभाग के मंत्री उन बहुत से कामों को बड़ी कुशलता से करते आ रहे हैं और उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । मैं समझता हूं कि इस इन्तजाम से प्रधान मंत्री के कार्यालय का काम बड़ी कुशलता और तेजी से हो रहा है ।

श्री त्यागी : श्रीमान्, औचित्य का एक प्रश्न है ताकि यह कहीं परम्परा न बन जाये । किसी मंत्री को राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के परामर्श से नियुक्त करता है । यहां यह रुढ़ि कभी नहीं रही कि मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में प्रश्नों की अनुमति दी जाये—किसी को क्यों नियुक्त किया गया और इसकी क्या जरूरत थी, इत्यादि । यदि उस पर चर्चा की अनुमति दी जाती है तो इस बात की सदा खुली छूट रहेगी कि विभागों के लिये सिफारिश करने के प्रधान मंत्री के

व्यक्तिगत विशेषाधिकार की आलोचना की जा सके। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसे प्रश्नों की अनुमति न दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Prime Minister has stated that there is need for the Minister without Portfolio. I want to know how long he thinks it is essential to continue the present arrangement.

Shri Jawaharlal Nehru : I cannot say. We have evolved a way to run the work efficiently. It will continue as long as it is necessary.

Shri Tyagi : Sir, You have given no reply to my point of order.

Mr. Speaker : There is no point of order.

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Prime Minister has thanked the Minister without Portfolio but he has given no reasons for it so that we may also thank him. My point is that so far as the powers and responsibility are not clearly demarcated between the Prime Minister and Shri Shastri Ji, the administration would always be in a welter of confussion because powers and responsibilities.....

Mr. Speaker : The hon. Member may ask the question.

Dr. Ram Manohar Lohia : I am asking the question.

My question is that powers and responsibilities have not been demarcated between the Prime Minister and Shastri Ji and since there is confusion between the two what arrangements the Prime Minister propose to make in order to streamline the administration.

Shri Jawaharlal Nehru : There has been no difficulty between Shastriji and me and I do not think we shall have any in future. We are doing our work efficiently. There is no question of distributing the work of the administration.

Dr. Ram Manohar Lohia : Is it personal or official ? Personal and official matters cannot be linked.....

Mr. Speaker : Order, order.

'निसान' जीपें

***८०५. श्री दी०चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना के लिए 'निसान' जीपें तथा एक टन वाले ट्रकों के निर्माण के सिलसिले में जापान को गये भारतीय प्रतिरक्षा दल के दौरे का क्या अन्तिम परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : प्रति मास 'निसान' जीपों तथा १ टन वाले 'निसान' ट्रकों के निर्माण को बढ़ाने की एक परियोजना तैयार कर ली गई है और सरकार उस पर विचार कर रही है। निसान मोटर कम्पनी ने निसान न्याधार पर रोगियों के लिये चलती-फिरती एक गाड़ी तैयार की है जिसके ऊंचे पर्वतों पर उपयोगी होने की संभावना है और शीघ्र ही यह क्षेत्रीय परीक्षणों के लिये आ जायेगी।

प्रश्न संख्या ८१४ के बारे में

Shri Prakash Vir Shastri : Question No. 814 may be taken up. It is a very important question. It is regarding the abduction of Hindu girls in East Pakistan.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय प्रधान मंत्री बता सकते हैं कि क्या वह प्रश्न संख्या ८१४ का उत्तर देने को तैयार हैं? यहां मांग हुई है कि प्रश्न संख्या ८१४ को लिया जाए।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम प्रश्न संख्या ८१४ लेते हैं।

Abduction of Hindu girls in East Pakistan

*814. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hem Barua :
Shri Kachhavaiya :
Shri Tradib Kumar Chaudhuri :
Shri Gauri Shankar Kakkar :
Shri Kapur Singh :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news report published in the Hindustan daily (Hindi) dated the 15th March, 1964 that a large number of Hindu girls have been abducted in East Pakistan and are being sent from Chittagong Port to Arab countries for sale ;

(b) whether the Government of India have tried to obtain information in this regard ;

(c) if so, the reaction of Government in regard to this serious matter ;

(d) whether it is also a fact that young women who want to come to India with their families from East Pakistan are held up there and cases of rape have also been reported ; and

(e) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministy of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) to (c). We are not aware of any such incident. The Deputy High Commissioner for India in Dacca has been asked to look into this news-report and send an early information.

(d) & (e). We are aware of one case of this type which occurred on the night of March 10th/11th, 1964, at Darsana and a strong protest was immediately lodged by us at the District level.

Shri Prakash Vir Shastri : A ship carrying Hindu girls has been sent to Arab countries from East Pakistan. In your reply you have stated that you are collecting information from your High Commissioner. Do you have

any reason to believe that your High Commissioner has enough facilities there to get full information in this regard ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : और कोई ऐसा साधन नहीं है जहां से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Is the Govt. of India in touch with our diplomatic representatives in those countries where Hindu girls are being sent like this from East Pakistan so that the reality may come to light and this act can be counteracted ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : तथ्यों का पता चलने पर ही हम ऐसा कर सकते हैं।

The Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri) : The first thing is that the allegation made by the hon. Member that girls are immoral being shipped is not correct.....

Shri Prakash Vir Shastri : You have asked the High Commissioner. How are you saying that it is not correct without awaiting his reply ?

Shri Lal Bahadur Shastri : This has appeared in the newspapers. That is why he has been asked how far it is true. Had there been any such thing, the High Commissioner would have himself sent the intimation. But since it has been published in the Press we have enquired as to what the reality is. What can be said when the original question is uncertain ?

Shri Raghunath Singh : It was mentioned even in Lok Sabha.

Shri Prakash Vir Shastri : On a point of order, Sir. On one hand Government is stating that no such incident has taken place and, on the other, it is being replied that they have asked their High Commissioner. How is the Govt. categorically denying that no ship has been sent unless some reply is received from the High Commissioner.

Mr. Speaker : He has not said anything like that what he says is that they do not have any information whether any such ship has been sent. Since it has appeared in the papers, they have made enquiries from the High Commissioner.

Shri Prakash Vir Shastri : This information can reach the newspapers but what is our High Commissioner doing who is present there and is responsible for it ?

Mr. Speaker : It is now a matter of argument. It is a different question.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले १५ दिनों में उच्च आयुक्त द्वारा इस समाचार की पुष्टि अथवा खंडन न करने का क्या कारण है तथा क्या उच्च आयुक्त से जानकारी प्राप्त करने के अलावा उन देशों में भी जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया है जहां जहाज गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक मुझे पता है हाल ही में उच्च आयुक्त को लिखा गया है, सात या दस दिन पहले, ठीक समय मैं नहीं बता सकता। हमें आशा है कि हमें शीघ्र ही उन से जानकारी मिल जायेगी। मुझे विश्वास है कि सभा को पता होगा कि इस समय बड़े पैमाने पर प्रव्रजन के कारण हमारे उप-उच्चायुक्त पर तथा उनके कार्यालय पर किस तरह का दबाव पड़ रहा है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक सुझाव है कि अखबारों के अनुसार जहां जहाज गया है उन स्थानों पर हमारे प्रतिनिधियों से साथ-साथ पूछताछ की जाए।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें ठीक तथ्यों का पता नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उस अखबार ने जहाज जहां गया हैं उस जगह का नाम नहीं दिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने नहीं देखा। परन्तु मैं इतना कह दूं कि शायद यह उचित न हो। यदि जांच पड़ताल करने से पहले ही हम अन्य देशों को लिख देते हैं और पूछताछ करते हैं तो हो सकता है कि इसे अनुचित समझा जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री हेम बरुआ का औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री हेम बरुआ : एक चीज पर मैं हैरान हूं। बिना विभाग के मंत्री ....

अध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न क्या है—उन्हें किस चीज पर हैरानी है ?

श्री हेम बरुआ : जब तक मुझे समय न मिले मैं कैसे सारी बात बता सकता हूं ? बिना विभाग के मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने विरोध-पत्र भेजे हैं और इस बारे में अपने उच्च आयुक्त से सूचना भेजने को कहा है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि समाचार-पत्रों में यह छप जाने के बाद कि हमारी औरतें दूसरे देशों में बिक रही हैं सरकार की नींद खुली है और वह कुछ कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रही है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जब मंत्री सभा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिये आते हैं....।

एक माननीय सदस्य : औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री हेम बरुआ : औचित्य प्रश्न यह है श्रीमान कि जब कोई मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो क्या उससे यह आशा नहीं रखी जाती कि वह शासकीय स्रोतों से मिली जानकारी से तैयार हो कर आए ? लगता है कि उनके पास शासकीय रिकार्ड में से कोई टिप्पण या जानकारी नहीं है। उन्होंने इतना ही कहा है कि हमारे उच्च आयुक्त ने उत्तर नहीं भेजा है। तथ्य तो यह है कि इस समाचार के अखबारों में छपने से पहले ही उन्हें सभा को यह जानकारी दे देनी चाहिये थी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जब तक मंत्री महोदय को किसी चीज का पता न हो वह अन्य अधिकारियों या मंत्रियों से कैसे पूछताछ कर सकते हैं ?

श्री हेम बरुआ : क्या मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि उस देश में हमारा उच्च आयुक्त है। जब इस तरह की कोई घटना होती है और यह तथ्य है कि हिन्दु लड़कियों में बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है अथवा विदेशों में ले जाया जा रहा है.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वह कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठा रहे हैंमने हैं। मैंने उन्हें ठीक से समझ लिया है। अब वह कृपया बठ जायें।

श्री हेम बरुआ : सरकार का कर्तव्य है कि वह पूछताछ करे और इस सभा को बताये ।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी मिलने से पहले हम अपनी सरकार की असफलताओं के बारे में पूर्वकल्पना नहीं कर सकते । अभी तक हम नहीं जानते कि जानकारी क्या आएगी । यदि वह नकारात्मक हुई तो दोष किस पर आयेगा ? किसी पर नहीं ।

श्री हेम बरुआ : मेरा तर्क या प्रश्न यह है : क्या सूचना देना हमारे उच्च आयुक्त का काम नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें पूर्वधारणा पर कोई बात नहीं सोचनी है । जानकारी आने दीजिये । यदि इसमें कोई सच्चाई हुई तो हम देखेंगे कि क्या करना चाहिये ... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री ह० प० चटर्जी : हमारी मातायें और बहनें इस अपनान को सहन कर रही हैं और सरकार कहती है कि जानकारी नहीं है । यह क्या है ?

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री ह० प० चटर्जी : यह असहनीय है । सरकार हमें स्थिति अवश्य बताये । हमारी हजारों माताओं और बहनों को अपनानित किया जा रहा है और फिर भी सरकार हरकत में नहीं आ रही है । यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो हरकत में आ रहे हैं ।

श्री ह० प० चटर्जी : मैं हरकत में आया हूं क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी है ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, क्या मैं आप से निवेदन कर सकता हूं कि यदि आपने ऐसी पूर्वधारणा बना ली है तो क्या हम भी समझें कि क्योंकि अभी तक हमारे उच्च आयुक्त से कोई उत्तर नहीं आया है, वहां ऐसी कोई घटनायें नहीं हुई हैं ? यदि आपकी धारणा ठीक है तो मेरी भी ठीक होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महदय : अब वह बैठ जायें । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सीमा तथा चटगांव से जो बहुत ही दुखद समाचार आए हैं जो यहां प्रश्न के रूप में आया है--और मैं पूरी तरह से जानती हूं कि हमारे उच्च आयुक्त के लिये मौके पर जांच करने के हेतु चटगांव जाने का आज्ञा पाना बड़ा ही कठिन है--क्या मैं जान सकती हूं कि क्या गृह मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में इस प्रश्न को मुख्य रूप से उठाया जायेगा ताकि कुछ समाज सेविकायें वहां जा सकें जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में किया गया था ताकि इस विषय को गंभीरतापूर्वक ऊंचे स्तर पर लिया जा सके ?

श्री शास्त्री बहादुर शास्त्री : पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं से हमें बड़ा दुःख होता है और मैं जानता हूं कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य के मन को चोट पहुंचती है । सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अपने विचार स्पष्ट तथा अधिकारपूर्ण ढंग से बता दिए हैं । सभा को दो बातों में विभेद करना चाहिये । एक प्रश्न तो कुछ लड़कियों को अन्य देशों में, अरब देशों में ले जाने का है, और दूसरा उनके अपहरण का है या अपमान का है--मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहता ।

एक माननीय सदस्य : मानहरण ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मानहरण आदि ।

श्री त्यागी : दुर्व्यवहार ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : दूसरी बात का उत्तर माननीय मंत्री ने दे दिया है कि एक घटना हमारे ध्यान में आई थी और हम ने कड़ा विरोध किया था । हमारे उच्च आयुक्त ने यह मामला उनके साथ उठाया । दूसरे विषय के बारे में .....

श्री हेम बरुआ : यह कह कर कि एक घटना ध्यान में आई है आप सारी चीज को कम करके बताने की कोशिश कर रहे हैं । ..... (**अन्तर्बाधा**) समाचार पत्रों में छपा है कि .....(**अन्तर्बाधा**) ।

श्री ह० प० चटर्जी : हजारों घटनायें हो रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी दोनों बातों को मिला रहे हैं; वे अलग अलग हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं केवल इतना कहना चाहता था कि हम किसी बात को छुपाना नहीं चाहते । यदि तथ्य हमारे पास होते हैं तो हम सभा से गुप्त नहीं रखते । जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम जानते हैं कि जो शरणार्थी यहां आये हैं उन्हें बड़ी यातनायें हुई हैं । उस बारे में माननाय प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति अयूब को लिखा और इस मामले को निबटाने का यह एक तरीका है.....(**अन्तर्बाधा**) यह मान लिया गया है कि यहां एक बैठक हो । मुझे सन्देह नहीं कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा उठाया गया प्रश्न गृह मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चाधीन आयेगा... (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के बाद मैंने इसकी अनुमति दी थी... (**अन्तर्बाधा**)

श्री हेम बरुआ : उसके लिए हम आप के आभारी हैं ।

Shri Ram Sewak Yadav : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : Kindly take your seat.

Shri Kachhavaiya : Girls are sold in the bazars of Arab.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

श्री कपूर सिंह : मेरा नाम इसमें है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं ।

Shri Rameshwaranand : Sir, I must speak.

Mr. Speaker : The hon. Member may resume his seat. The Question Hour is over. In view of the importance of this issue. I allowed it to be raised even after the Question Hour. 12 minutes have passed after that. I agree that this is a very important matter and the Government has also realised the intensity of the feelings of the Members. It would collect the information and give to the House at the earliest instance.

Shri Ram Sewak Yadav : This information came 16 days ago.

Mr. Speaker : If so many days have passed what I can do. I cannot give more than 15 minutes for one question. I cannot proceed with it any more as a question. If the hon. Members wish they can bring it here in another form.

Shri Kachhavaiya : On a point of order. Let it be replied in the first place whether girls are sold in the bazars of Arab or not and then.....

Mr. Speaker : It is not yet known whether any ship has been sent or not ?

श्रीमती रेणुका राय : सभा की इस ओर किसी सदस्य को अनुमति नहीं दी गई है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की किसी ओर के किसी सदस्य को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। एक ध्यान दिलाने वाली सूचना है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न है। मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं देना चाहता परन्तु दो या तीन मिनट का समय बढ़ाने के लिए आपसे अनुरोध करते हुए क्या मैं आपका ध्यान नियम ४६ के परन्तुक की ओर आकर्षित कर सकता हूं जिसमें ऐसे प्रश्नों का उल्लेख है जो प्रश्नकाल में नहीं लिये गये परन्तु उसके बाद लिये गये हैं ? कोई समय निश्चित नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दो या तीन मिनट का समय और दे दें।

अध्यक्ष महोदय : हम १५ मिनट लगा चुके हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : ऐसे भी अवसर आये हैं जब २० मिनट लगाये गये हैं.....(अन्तर्बाधा)

Shri Rameshwaranand : I have a point of order.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : Let me first listen to the point of order of Shri Rameshwaranand.

Shri Rameshwaranand : I have read about Ambassadors in the 'Shastras'. The Ambassadors should be such persons who have knowledge of the 'shastras'. Only those persons should be appointed as Ambassadors who can understand others from their appearance, gestures and speech. I want to submit that it is no use to have such Ambassadors who do not know what has happended and the Government has to make enquiries about those happenings. What purpose is being served by spending billions of rupees on them ? What is the necessity for it ?

Mr. Speaker : Let the hon. Member tell me how it is a point of order.

Shri Rameshwaranand : I want that such persons should not be ap pointed.

Mr. Speaker : Shri Rameshwaranand is not to be blamed for it. He sees that other hon. Members also raise such points of order and that right therefore goes to him also. But we have to see that if such a convention goes on, where it shall lead us to. I have repeatedly told the hon. Members that it is improper

to raise a point of order when there is no such point and they are themselves convinced about it. Has Dr. Lohia also any point of order ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I do not want any reply. I want to make only this submission that Govt. should not waste as many as 16 days if some incident has provoked or hurt the feelings of millions of people. I do not know whether this incident regarding the ship is essentially true. If it be true, Govt. should take immediate action and send people by air to enquire about it. And if it is not true, Govt. should try to obviate the discontentment among the Hindus which is increasing and resulting in riots. I am not asking for any answer. I am saying that discontentment and provocation are increasing in the country because of Government's negligence and refusal to give any reply.....

Mr. Speaker : I did not allow for any lecture. How it is a point of order. Kindly sit down.

Dr. Ram Manohar Lohia : I am raising a point of order because the whole country is ablaze on account of such an inconclusive discussion. Just have a look at it. I am not speaking for Hindus alone. Both Hindus and Muslims are being killed, a huge conflagration is there and here we are having an aimless discussion. People are being provoked, both Hindus and Muslims, and thereafter they have no other alternative. Unrest is mounting. Under such circumstances when a story gets circulation that Hindu women have been sold in Arab and Pakistan.....

Mr. Speaker : The hon. Member may take his seat now. I cannot allow this.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, now if I.....

Mr. Speaker : The hon. Member may please sit down now when I am on my legs. Neither there is any point of order nor it has been tried to formulate one. How far it would be proper if the hon. Member stands up and goes on lecturing endlessly. How can democracy function ? Is this the way ? If I go on objecting that this is not point of order, that no rule has been violated, that no constitutional provision has been floated but still this thing continues how we shall function. A point of order is raised to help me in conducting the proceedings according to the Constitutional provisions ; but here it is raised not to help me but to oppose me, to obstruct me.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, I would like to say that no Member opposes you here. It should not be said. (*Interruption*).

Mr. Speaker : The hon. Member may now resume his seat.

Shri Rameshwaranand : I sit down but.....

Shri Kachhavaiya : Proper reply should be given. If they do not tell us.....

Dr. Ram Manohar Lohia : If replies are given like this, it becomes the duty of the Speaker also that he should urge upon the Government to reply properly in such matters. If I just give you the number, would that be a point or order ?

Mr. Speaker : That has not been violated.

Dr. Ram Manohar Lohia : In my opinion that is being violated. I would therefore submit that we have come here to discharge our duties and shall continue to do so. We have come to do our duty and not to obstruct.

Shri Rameshwaranand : You feel that we only put obstructions. You should not have this impression about us. We have much regard for you. But when such a situation arises, what are we here for ?

Mr. Speaker : That is very kind of you. Now you may sit down. ध्यान दिलाने वाली सूचना ।

श्रीमती रेणुका राय : श्रीमान्, मेरा एक निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं दूसरों को मना कर रहा हूं ?

श्रीमती रेणुका राय : आपने इस तरफ से प्रश्नों की अनुमति नहीं दी. . .

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यान दिलाने वाली सूचना को ले चुका हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भेषज उद्योगों में महिला कर्मचारी

*८०६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती विमला देवी :
श्रीमती सुभद्रा जोशी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई तथा अन्य स्थानों पर अधिकांश भेषज उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को विवाह होते ही अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ जाता है ;

(ख) क्या ठेके के अनुसार उनका अविवाहित रहना जरूरी होता है ; और

(ग) क्या सरकार महिला मजदूरों की रक्षा के लिये इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिये कोई विधान बनाने का विचार कर रही है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां । बम्बई में और किसी स्थान के बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सामान्यत: कुछ श्रेणियों की महिला कर्मचारियों की नियुक्ति में यह शर्त रहती कि विवाह के बाद या तो त्यागपत्र दे या उनको सेवा से हाथ धोना पड़ेगा ।

(ग) मामले पर उच्चतम न्यायालय में विचार हो रहा है ।

Explosion in Tezpur

*807. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the investigations into the explosion that took place near Tezpur on the 21st February, 1964 have been completed ; and

(b) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D. R. Chavan): (a) & (b) The Court of Inquiry has not yet completed its investigations.

निशस्त्रीकरण सम्मेलन

*८०८. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरस्त्रीकरण सम्मेलन की जेनेवा में हुई हाल की बैठक में भारत ने यह प्रस्ताव किया था कि आण्विक शस्त्रों वाले राष्ट्रों को इस बात पर सहमत हो जाना चाहिये कि जिन देशों के पास आण्विक शस्त्र नहीं हैं उन्हें न तो ऐसे शस्त्र दिये जाये और न ही उनके निर्माण सम्बन्धी जानकारी दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर आण्विक शस्त्रों वाले देशों की और जिन देशों के पास आण्विक शस्त्र नहीं हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय शिष्टमण्डल ने सुझाव दिया था कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन को आण्विक हथियारोंके बनाने के प्रश्न पर करार करना चाहिए तथा प्रस्ताव किया कि स्वीकार्य करार यह होगा कि आण्विक शक्तियां आण्विक हथियार न तो उन देशों को दें जिनके पास आण्विक हथियार नहीं हैं तथा शपथ ले कि वह इन हथियारों का निर्माण न करेंगे। ऐसा आंशिक आण्विक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के समान सन्धि करके किया जा सकता है।

(ग) प्रस्ताव अभी सम्मेलन में औपचारिक रूप में पेश नहीं किया गया है। परन्तु आण्विक शक्तियों समेत सभी शक्तियां आण्विक हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में है।

Labour trouble at Ujjain Textile Mills

*809. **Shri Kachhavaiya :** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that restrictions have been imposed on advancing loans from the provident fund to textile mill workers in Ujjain resulting in frequent clashes among workers and also increase in tension in the mill area ;

(b) whether any complaints from workers in this respect have been received by Government ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour& Employment and for planning (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) No. One of the textile mills in Ujjain, namely, Hira Mills Ltd., was granted exemption in the year 1952 which had to be cancelled in February 1957 owing to default in making regular payment of provident fund dues and other irregularities. The statutory Provident Fund Scheme does not provide for grant of any repayable advances to the workers for meeting expenses connected with marriage etc. which was being allowed previously under the Provident Fund Scheme of the textile mills. The facilities demanded by the workers cannot be restored unless the mill is re-exempted under Section 17 of the Employee's Provident Funds Act. In the absence of any request from the Mill management, the question of granting such re-exemption does not arise.

The Government have no information of frequent clashes among the workers or tension in the Mill area caused by the withdrawal of the exemption.

(b) and (c) Yes. The positipn was explained to the workers.

दक्षिण, अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध

*८१०. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों के बारे में चर्चा के लिए अप्रैल के मध्य में लन्दन में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधान मन्त्री अथवा भारत सरकार से कहा गया है ; और

(ख) सम्मेलन कौन बुला रहा है और सम्मेलन की कार्यसूची क्या होगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) प्रधान मन्त्री तथा भारत सरकार को सम्मेलन में भाग लेने का निमन्त्रण नहीं मिला है। परन्तु समिति ने भारत के प्रसिद्ध लोगों को आमन्त्रित किया है। समिति ने प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया है कि प्रधान मन्त्री सम्मेलन के पैट्रन बन जायें और उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है। प्रधान मन्त्रीने सम्मेलन को दूसरी सफलता के बारे में विशेष सन्देश भेजा है।

(ख) ब्रिटेन में वर्णभेद विरोधी आन्दोलन ने प्रसिद्ध विद्वानों से मिल कर इस सम्मेलन का संगठन किया है। कार्यसूची की अभी जानकारी नहीं है।

नागा विद्रोही

*८११. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सं० च० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ जनवरी, १९६४ को अथवा उसके आस पास नागा विद्रोहियों ने अग्न्यस्त्रों से एक सैनिक दस्ते पर हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर के कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी हां। कोहिमा-इम्फाल सड़क पर कोहिमा के लगभग ६ मील दक्षिण में १५ जनवरी १९६४ को नागा विद्रोहियों ने एक सैनिक दस्ते पर गोलियां चलाई थीं।

(ख) कितने विद्रोही थे इसका पता नहीं है। हमारा एक जेसीओ तथा एक सैनिक मारा गया था।

(ग) सुरक्षा सेनाओं ने करना क्षेत्र की तुरन्त तलाशी ली थी परन्तु कोई विद्रोही वहां नहीं मिला। परन्तु सुरक्षा कार्यवाहियां और कठोर कर दी गई हैं।

पाकिस्तान के शिष्टमंडल द्वारा यूरोप का दौरा

***८१२. श्री महेश्वर नायक** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पाकिस्तान के कथित आयोजन की ओर दिलाया गया है जिसके अधीन मीर वैज मुहम्मद यूसूफ शाह नामक 'ग्रांड मुफ्ती ऑफ काश्मीर' कहा जाने वाला एक व्यक्ति काश्मीर की जनता द्वारा 'आत्म निर्धारण' के सिद्धान्त पर बल देने के लिए लन्दन, पेरिस तथा अन्य पश्चिमी यूरोप की राजधानियों को जाने वाले गैर-सरकारी शिष्टमण्डल का नेतृत्व कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के इस बुरे इरादे से उत्पन्न प्रभाव को दूर करने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां। एक गैर सरकारी पाकिस्तानी शिष्टमण्डल लन्दन, पेरिस, मोरक्को, ट्यूनीसिया और अल्जीरिया गया था।

(ख) भारत सरकार ने विदेशों में अपने दूतावासों से कहा है कि पाकिस्तानी शिष्टमण्डल के बुरे प्रचार का तुरन्त विरोध करें।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता

***८१३.** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बडे :
श्री कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें बढ़ा दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस कारण प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६०० / ६४**]

(ग) लगभग १।। करोड़ रुपये।

जंजीबार के साथ राजनयिक संबंध

*८१५. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या प्रधान मन्त्री २१ फरवरी, १९६४ को लोकसभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या जंजीबार शासन के साथ समुचित राजनयिक सम्बन्ध इस बीच स्थापित कर लिये गये हैं ; और

(ख) क्या इस बीच नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायुक्त से जंजीबार में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की बुरी दशा के बारे में प्रतिवेदन मिला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। नैरोबी में रह रहे उच्चायुक्त ने २० मार्च १९६४ को जंजीबार के प्रेजीडट को भारत के उच्चायुक्त के परिचय पत्र दिए थे ।

(ख) जी हां। परन्तु जैसा कि पहले बताया गया है ऐसा पता नहीं लगता कि हाल में हुई दुर्घटना में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को ही लक्ष्य बनाया गया था। परन्तु कुछ को सम्पत्ति की बड़ी हानि हुई और कुछ को कम हानि हुई। उनमें से कई व्यक्तियों ने भारत में लौटने की इच्छा व्यक्त की है और हम उनको आवश्यक सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों को वीरता के पुरस्कार

१६३९. **श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद वीरता के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन्हें कुछ मासिक भत्ता भी मिलता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों को दूसरे विश्व युद्ध से पहले भारतीय विशिष्ट सेवा पदक और अन्य ऐसे पुरस्कार मिले हैं उन्हें कोई भत्ता नहीं मिलता; और

(ग) यदि हां तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) यह ठीक है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले दिये गये भारतीय विशिष्ट सेवा पदक के साथ कोई वित्तीय भत्ता नहीं था अन्य सभी पुरस्कारों के साथ वित्तीय भत्ता दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित भारतीय विशिष्ट सेवा पदक सम्बन्धी निश्चय तत्कालीन सरकार ने किया था और भेदभाव के कारण इस समय उपलब्ध नहीं है ।

ट्रैप और स्कीट गन

१६४०. श्री कर्णीसिंह जी :
श्री ललित सेन :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार क्ले पीजन शूटिंग टीमों के सम्बन्ध में अपना स्तर ऊंचा करने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना में से प्रत्येक के लिए कम से कम एक ट्रैप और स्कीट गन विदेशों से मंगाने वाली है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : तीनों सेनाओं के कर्मचारियों में संगठित खेलकूद की कार्यवाहियों का सर्वांगीण नियन्त्रण और समन्वय सेवा खेल कूद नियन्त्रण बोर्ड के हाथ में होता है। बोर्ड ने इण्टर सर्विस चैम्पियनशिप में अभी तक शूटिंग नहीं चालू की है और न ही सर्विसेज नेशनल राइफल शूटिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेती है।

सर्विसेज में खेल कूद के लिए कुछ ट्रैप और स्कीट गन्स मंगाने का सुझाव अभी हाल में प्राप्त हुआ है और उस पर सरकार विचार कर रही है।

उड़ीसा में तकनीकी कार्यवाही

१६४१. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उड़ीसा के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने तकनीकी कर्मचारी दर्ज थे; और

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त वर्ष में उन में से कितनों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप मंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) ८,७१४।

(ख) २,५७५

तालचेर कोयला खानों में दुर्घटना

१६४२. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में अब तक तालचेर कोयला खानों में कितनी बड़ी और छोटी दुर्घटनाएं हुईं ; और

(ख) उन दुर्घटनाओं के कारण जान माल की कितनी हानि हुई ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख). ७ घातक और ४३ गम्भीर दुर्घटनाएं हुई थीं जिन में ८ आदमी मारे गये और ४४ लोगों को गहरी चोटें आयीं। छोटी दुर्घटनाओं के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

तालचेर खान में एकएक गरमी बढ़ जाने के कारण दो-तिहाई खान बन्द कर दी गयी और हाडीदुहा खान में आग लग जाने के कारण सारी खान बंद कर दी गयी। इन खतरनाक घटनाओं के कारण कितनी सम्पत्ति की हानि हुई यह खानों के फिर से खुलने के बाद ही पता लगेगा।

उड़ीसा में रोजगार दफ्तर

१६४३. **श्री राम चन्द्र उलाका** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उड़ीसा में कितने रोजगार दफ्तर थे; और

(ख) १९६४–६५ में उड़ीसा में कितने रोजगार दफ्तर खोलने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) १४

(ख) २

उडीसा की कपड़ा मिलें

१६४४. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन कपड़ा मिलों ने अभी तक श्रम पदाधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरायन) : (क) फैक्टरीज अधिनियम, १९४८ की धारा ४९ के अनुसार, ५०० या ज्यादा कर्मचारियों वाले कारखानों को ही कल्याण पदाधिकारी नियुक्त करने होते हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि बिना कल्याण पदाधिकारी के ऐसी कोई कपड़ा मिल नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अदन में भारतीय महिला की मृत्यु

१६४५. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में अदन में ग्रेनेड से हमले में एक भारतीय महिला मारी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या अदन सरकार ने उसके परिवार को कोई क्षतिपूर्ति दी है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां । जब ब्रिटिश हाई कमिशनर लन्दन के लिए अदन में हवाई जहाज पर सवार हो रहे थे तब उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया जिस में श्रीमती हेरावन्ती जमनादास की अचानक दुर्घटना से मृत्यु हुई । इसी दुर्घटना में हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे लोगों को चोट आयी और दो व्यक्ति मारे गये ।

(ख) जी, नहीं । अदन सरकार ने भारत सरकार को और भारतीय समाज को अपना खेद सूचित किया है और शोकातुर परिवार को अपनी सहानुभूति व्यक्त की है ।

अणुशक्ति का विकास

१६४६. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये अणुशक्ति के विकास के संबंध में भारत ने क्या प्रगति की है ;

(ख) इस क्षेत्र में भारत किन किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है ; और

(ग) किन किन देशों ने भारत के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अणुशक्ति विभाग की वर्ष १९६३–६४ की संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट जिस में में शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अणुशक्ति के विकास के संबंध में विभाग द्वारा की गयी प्रगति का ब्योरा बताया गया है, संसद सदस्यों को बांट दी गयी है ।

(ख) विभाग ने विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित देशों के साथ सहयोग के करार किये हैं :—
कनाडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, हंगरी, पोलेन्ड, स्वीडेन, सोवियत रूस, संयुक्त अरब गणराज्य, ब्रिटेन, और अमेरिका ।

(ग) अभी तक किसी भी देश ने विभाग के साथ सहयोग करने से इन्कार नहीं किया है ।

लाओस की स्थिति

१६४७. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** १८ नवम्बर १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लाओस में नवीनतम स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग ने लाओस में अपना अच्छा काम जारी रखा है । १९६३ के अंत में, राष्ट्रीय समझौते की दिशा में अच्छी प्रगति हुई थी । फिर भी जनवरी, १९६४ में स्थिति थोड़ी बिगड़ गयी और लाओस के प्रधान मंत्री ने आयोग को बताया कि पैथेटपाओ ने दूसरे पक्षों पर गहरे हमले किये हैं। पैथेटपाओ ने यह आरोप लगाये हैं कि दक्षिण पंथी सेनाओं ने उन के स्थानों पर अनधिकृत कब्जा किया है । उसकी प्रार्थना के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने लड़ाई वाले क्षेत्र में

एक जांच पड़ताल दल भजने का निश्चय किया है । तीनों पक्षों के नेताओं के प्रतिनिधियों के बीच वियतनाम में बराबर सी प्रारंभिक बैठकें हो रही हैं और आशा है कि तीनों नेताओं के सम्मेलन के लिए सहमत हो जायेंगे ।

पाकिस्तानियों द्वारा हमला

१६४८. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स पार्टी ने २६ जनवरी, १९६४ को मेमनसिंह सीमा पर गारो पहाड़ियों में भारतीय सीमावर्ती सुरक्षा दल पर हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस हमले में कितनी भारतीय मारे गये और घायल हुए ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) तीन - -एक हवलदार को भगाकर ले जाया गया और मार डाला गया और दो सिपाहियों को चोट पहुंची जिन में से एक अस्पताल में मर गया ।

(ग) आसाम सरकार ने और ढाका स्थित हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार को कड़ा विरोध पत्र भजा है । सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ कर दी गई है ।

विदेशी अतिथियों की यात्रा

१६४९. **श्री कृष्णपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर मार्शल सर हेम्टर मैकग्रेगोर और अर्ल माउन्टबेटन अभी हाल ही में भारत आये थे ; और

(ख) उन के आने का क्या प्रयोजन था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, वे जनवरी, १९६४ में भारत आये थे ।

(ख) उनकी यात्रा का कोई विशिष्ट प्रयोजन नहीं था। यह आम रिवाज है कि सशस्त्र सेना के उच्च अधिकारी मित्र देशों के सैनिक उच्चाधिकारियों से मिलते जुलते रहे; हमारे चीफ्स आफ स्टाफ्स् ब्रिटेन सहित अनेक देशों में कई बार जा चुके हैं। उसके बदले में उन्होंने सरकार की अनुमति से उन्हें भारत आने के लिये नियमंत्रित किया था। अर्ल माउन्टबैटन का भारत के साथ विशेष संबंध है, और उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए बुलाया गया था।

Private sector employees of Delhi

1650. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the facilities available to Government servants like pay and dearness allowance after the declaration of Delhi as 'A' Class city have not so far been made available to employees working in the private sector ;

(b) if so, whether Government have advised the private sector in this connection ; and

(c) the reaction of the private sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour & Employment and for planning (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) Following declaration of Delhi as 'A' Class City, a number of unions operating in different industries in Delhi raised disputes for revision of wages and/or rates of dearness allowance. In a number of cases emoluments were enhanced. In other cases where a settlement could not be reached, the disputes were referred for adjudication.

(b) This does not arise as pay and allowances of workmen in the private sector are matters which have to be settled between the employers and their workmen and it is always open to the workmen to seek the interveution of the Industrial Relations Machinery for redressal of their grievances.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश के रोजगार रजिस्टर में दर्ज महिलायें

१६५१. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उत्तर प्रदेश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितनी महिलाएं दर्ज थीं ; और

(ख) उन में से कितनी महिलाओं को १९६३ में रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) १०,५७६।

(ख) २,६६१।

एयर फोर्स स्टेशन मिदनापुर

१६५२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कलाई कुण्डा एयर फोर्स स्टेशन के बम परी-परीक्षण क्षेत्र से निष्कासित व्यक्तियों को पूरी पूरी क्षतिपूर्ति दी गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें किस प्रकार की क्षतिपूर्ति दी गयी थी; और

(ग) इन लोगों को पूरी-पूरी क्षतिपूर्ति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). इन जमीनों के प्राप्त न किये जाने तक कुछ जमीने और उन पर खड़े ढांचों को मांग लिया गया है, उन ढांचों के लिए आंकी जाने वाली क्षतिपूर्ति की ८० प्रतिशत रकम नियमों के अनुसार मालिकों को दे दी गयी है। जो रकम वास्तव में दी गयी है वह १,०७,०८० रुपये है।

जमीन के मालिकों को दिया जाने वाला किराया अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि मिदनापुर जिले के कलेक्टर ने उसे निर्धारित नहीं किया है। कलेक्टर ने ढांचों के लिए जो पूरी क्षति पूर्ति निर्धारित की है उसकी छानबीन हो रही है। कलेक्टर से प्रार्थना की गयी है कि वह किराया शीघ्र निश्चित कर दें और संभावित रकम का ८० प्रतिशत भुगतान कर दें।

सेना के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक

१६५३. **श्री गो० महन्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के लिए कुल कितने मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रैजुएटों की जरूरत है; और

(ख) अभी तक कितनों को कमीशन दिया जा चुका है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) १ अप्रैल, १९६४ को लगभग तीन-तीन हजार मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएटों की जरूरत थी।

(ख) मेडिकल कोर्स में २,४२१ ग्रैजुएटो और इंजीनियरिंग, मिग्नल्स और ई० एम० ई० कोर्स में १,४७४ ग्रैजुएटों को कमीशन दिया गया है।

जम्मू और श्रीनगर में आकाशवाणी केन्द्र

१६५४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और श्रीनगर में आकाशवाणी केन्द्रों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पिछले वर्ष क्या कदम उठाये गये;

(ख) क्या पिछले वर्ष श्रीनगर केन्द्र से कोई नये कार्यक्रम भी चालू किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो कौन से?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) श्रीनगर में कम ताकत वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटर की जगह १-५-१९६३ को ज्यादा ताकत वाला एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर बैठाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू में और अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर बैठाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीनगर केन्द्र से विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों में कई नये कार्यक्रम चालू किये गये हैं। इनमें खासकर वे हैं जिनका संबंध चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के विभिन्न पहलुओं और भारत के प्रति पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण रवैये से है। ये कार्यक्रम वार्ताओं, चर्चाओं, गोष्ठियों समाचारदर्शन, रूपक और देशभक्तिपूर्ण तथा वीरतापूर्ण विषयों पर गीतों के रूप में प्रसारित किये गये हैं।

भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना

१६५५. श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना का एक वैम्पायर हवाईजहाज २१ फरवरी, १९६४ को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में मोराडा के आसपास कहीं टकरा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में वह दुर्घटना हुई और जानमाल की कितनी हानि हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) विमान का चालक ही एकमात्र सवार था और उसे थोड़ी सी चोट आयी। दुर्घटना के कारण की जांच करने और नुक्सान का अन्दाज लगाने के लिए एक जांच अदालत कायम करने का आदेश दिया गया है। जांच अदालत की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Research in Ink for use in Aircraft manufacture

1656. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Defence Research Laboratory, Kanpur has developed an ink for use in marking on the aluminium alloy sheets used for the manufacture of aeroplanes ; and

(b) if so, the extent to which Government are utilizing it ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) The current requirements of the Aircrafts Manufacturing Depot, Kanpur are being met by the Laboratory. Its wider use is under consideration.

लुधियाना में मजदूरों का स्वास्थ्य बीमा

१६५७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधियाना शहर में मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा की योजना अभी तक लागू नहीं की गयी है यद्यपि पिछले कई वर्षों से वह दूसरे औद्योगिक नगरों में जारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लुधियाना शहर में इस योजना को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या कदम उठने वाली है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना १७ मई, १९६३ से लुधियाना में लागू की गयी हैं और बीमा-शुदा व्यक्तियों के परिवारों को १ नवम्बर, १९५८ से चिकित्सा सुविधाए दी गयी हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कोठागुड़ियम में कर्मचारी क्वार्टर

१६५८. **श्री प० कुन्हन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान भविष्य निधि, कोठागुडियम के प्रादेशिक कार्यालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ;

(ख) कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ; और

(ग) कितनी राशि व्यय किये जाने की संभावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) कोयला खान भविष्य निधि, कोठागुडियम के प्रादेशिक कार्यालय के कार्यालय भवन और कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिये भूमि खरीदने के लिये बातचीत चल रही है।

(ख) अस्थायी निर्णय यह है कि प्रत्येक कर्मचारी के लिये जिसे आवश्यकता हो क्वार्टर बनाये जायें बशर्ते के उसके लिये भूमि उपलब्ध हो।

(ग) अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है।

आसाम में गुप्त रेडियो स्टेशन

१६५९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहजी :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समाचार की सचाई को सुनिश्चित कर लिया गया है कि आसाम में एक गुप्त प्रसार केन्द्र (रेडियो स्टेशन) आकाशवाणी द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिये प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में बाधा डाल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). आसाम में गुप्त प्रसार केन्द्र (रेडियो स्टेशन) के संबंध में सरकार के पास जानकारी नहीं है। जहां तक दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये आकाशवाणी के प्रसारणों का संबंध है, किसी जान बूझकर की गई बाधा की सूचना नहीं मिली है।

भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना

१६६०. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के 'फेयर चाइल्ड पैकेट' विमान, जिसमें २२ व्यक्ति बैठे हुए थे, के ४ मार्च, १९६४ को गांधी घाट के समीप हुगली नदी में गिर जाने की परिस्थितियों की जांच करने के लिये नियुक्त जांच न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा अमरीका का दौरा

१९६१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में वह वाशिंगटन का दौरा करने का विचार रखते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां। ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) दौरे में प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं से सम्बधित मामलों पर बातचीत करने का विचार है।

Arrest of I.A.F. Personnel

1662. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four I.A.F. personnel were arrested at Saharanpur Police Station while they were taking a truck-load of sugar to Ambala ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) No.

(b) Does not arise.

चीन के प्रधान मंत्री का पाकिस्तान का दौरा

१६६३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ मार्च, १९६३ की ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में दिये गये विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि गत मास चीन के प्रधान मंत्री के पाकिस्तान के दौरे के शीघ्र पश्चात् चीनी सैनिक अधिकारियों ने पाकिस्तान में चीनी दूतावास के सैनिक सहचारी और पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों के साथ गिलगिट मुजफ्फराबाद और जम्मू के निकट युद्ध विराम रेखा का दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका और ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार के पास मामले की कोई जानकारी नही है।

राजस्थान में बेरोजगार महिलाएं

१६६४. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को राजस्थान के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितनी महिलाओं (स्नातक और गैर-स्नातक दोनों) के नाम दर्ज थे ; और

(ख) जुलाई से दिसम्बर, १९६३ तक उन में से कितनी महिलाओं को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख).

श्रेणी	३१-१२-६३ को चालू रजिस्टर में दर्ज संख्या	जुलाई-दिसम्बर, १९६३ को जितनी महिलाओं को रोजगार दिलाया गया ।
स्नातक . . .	१२८	३८
मैट्रिकुलेट्स और इन्टरमीडियेट्स .	१,०२१	२८०
मैट्रिकुलेशन स्तर से नीचे वाले (जिन में अनपढ़ भी शामिल हैं)	२,७३०	३३६
कुल	३,८७९	६५४

नये जहाज

६६५. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में भारतीय नौसेना के लिए विदेशों (देशवार) से कितने नए जहाज खरीदे गए ; और

(ख) प्रत्येक जहाज का क्या मूल्य है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) १९६३-६४ में भारतीय नौसेना के लिए विदेश से कोई नया जहाज नहीं खरीदा गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी, नई दिल्ली के कर्मचारी

१६६६. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९६४ को आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने 'स्टाफ आर्टिस्ट्स' और कर्मचारी थे ?

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : ४५ ।

कोयम्बटूर में आकाशवाणी का केन्द्र

१६६७. श्री धर्मलिंगम :
श्री मुत्तु गोंडर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में कोयम्बटूर में आकाशवाणी का केन्द्र स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या मदुरै में भी एक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) ये केन्द्र कब काम करना आरम्भ करेंगे ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) मुख्य ट्रांसमीटर संयंत्र और रिसीविंग उपकरण उपलब्ध हैं। कोयम्बटूर में 'मीडियम वेव ट्रांसमीटर' और सम्बद्ध 'रिसीविंग' केन्द्र स्थापित करने का काम अन्तिम अवस्था में है। ट्रांसमीटर और 'रिसीविंग' केन्द्र की इमारतों के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'अनुमान' मंजूर कर लिए गये हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) आशा है कि कोयम्बटूर में ट्रांसमीटर १९६५ के मध्य तक चालू हो जाएगा।

ग्लाइडर

१६६८. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८ अथवा १९४९ में श्री एंटोनियस राव द्वारा ग्लाइडरों के निर्माण के संबंध में ब्योरे प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़ौदा जिला कार्यालय (डिस्ट्रिक्ट आफिस) के अभिलेखों की छानबीन की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) और (ख). संबंधित अभिलेखों का पता लगाने के लिए—जिनका अभी पता नहीं लगा है—राज्य सरकार सभी संभव प्रयत्न कर रही है ।

'पैट्रियाट' के लिये कागज का कोटा

१६६९. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 'पैट्रियाट' के अखबारी कागज के कोटे में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर १९६३–मार्च १९६४ के लिए अखबारी कागज़ देने की नीति के अनुसार ऐसे दैनिक समाचार पत्रों को, जिनकी बिक्री १०,००० से अधिक और ५०,००० से कम है, इस काल में अपनी बिक्री २० प्रतिशत अथवा ५०,००० प्रतियों तक, जो भी कम हो, बढ़ाने का अधिकार है। 'पैट्रियाट' इस श्रेणी में आता है।

पटसन मजूरी बोर्ड

१६७०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ९ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के संबंध में नवीनतम प्रगति क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): सिफारिशें ८२ मिलों द्वारा पूर्ण रूप में और ३ मिलों द्वारा आंशिक रूप में क्रियान्वित की गई हैं। शेष ७ मिलों में सिफारिशों की क्रियान्विति के संबंध में संबंधित राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं।

सैनिक स्कूल

१६७३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों ने हाल ही में अपने अपने क्षेत्राधिकारों में सैनिक स्कूल चालू करने के लिए नए प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन संघ राज्य क्षेत्रों के क्या नाम हैं तथा स्कूल किन किन स्थानों पर खोले जायेंगे ; और

(ग) ये स्कूल लगभग किस समय तक खोले जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). किसी भी संघ राज्य-क्षेत्र से उसके क्षेत्राधिकार में सैनिक स्कूल खोलने के लिए हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गृह-कार्य मंत्रालय ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के परामर्श से संघ राज्य क्षेत्रों के लड़कों के

फायदे के लिए सैनिक स्कूलों में शिक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति योजना बनाई है। यह योजना जनवरी १९६४ में आरम्भ होने वाली अवधि से चालू हो गई है। छात्रवृत्ति योजना निम्न है :—

आय	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की राशि और वस्त्र भत्ता
५०० रु० प्रति मास तक	पूर्ण छात्रवृत्ति और वस्त्र भत्ता	१९०० रु० प्रतिवर्ष और वस्त्र भत्ते के लिए प्रथम वर्ष में ३०० रु० और बाद के वर्षों में १५० रु० ।
५०१–७५० रु० प्रति मास तक	३/४ छात्रवृत्ति और वस्त्र भत्ता	१४२५ रु० प्रति वर्ष और वस्त्र भत्ते के लिए प्रथम वर्ष में ३०० रु० और बाद के वर्षों में १५० रु० ।
७५१–१००० रु० प्रति मास तक	१/२ छात्रवृत्ति	९५० रु० प्रति वर्ष ।
१,००१–१,२०० रु० प्रति मास तक	१/४ छात्रवृत्ति	४७५ रु० प्रति वर्ष ।

Internal combustion Engines

1674. **Shri Inkar Lal Berwa :**
Shri Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the subject of running internal combustion engines on high altitude or in cold regions on the northern frontier of the country was discussed at the two-day seminar of defence scientists and technicians ; and

(b) if so, the decision taken in this regard ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir. Representatives from the industry also participated.

(b) It was decided to create a cell in the Defence Research and Development Organisation to progress the development of internal combustion engines for use at high altitudes. It will liaise with industries, technical institutions and research laboratories for the purpose. Test facilities will be established at the Engineering Establishment of the Organisation which may also be utilised for environmental testing of engines developed by industry.

---

१७ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO U.S.Q. No. 268 DATED THE 17th FEBRUARY, 1964.

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : १७ फरवरी, १९६४ को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या २६८ के भाग (ग) के उत्तर में मैंने बताया था कि जिन राज्यों ने

क्षेत्र प्रचार शिविर में भाग लिया था वे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र थे। जम्मू तथा काश्मीर ने भी इसमें भाग लिया था, मुझे खेद है कि उसका नाम छपाई की गलती के कारण नहीं आ सका। उत्तर में "उत्तर प्रदेश" शब्दों के पश्चात् "जम्मू तथा काश्मीर" शब्द जोड़ दिए जायें।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में
RE : CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल के बन्द हो जाने के बारे में कई माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाली सूचना प्राप्त हुई हैं। क्या माननीय मंत्री उत्तर दे सकेंगे ?

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि०सुब्रह्मण्यम) : मैं ५ बजे वक्तव्य दे सकूंगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I have given notice of a calling Attention Motion' regarding currency notes worth Rs. 1 crore and 55 lakhs which were found in possession of Shri Datar.

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that the matter is under consideration.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आय-व्ययक प्राक्कलन "कार्यान्विति व कार्यक्रम तथा व्यापारियों जैसे आय व्ययक" सहित

श्रम और रोजगार उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९६३–६४ के संशोधित प्राक्कलनों और वर्ष १९६४–६५ के आय-व्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति "कार्यान्विति व कार्यक्रम तथा व्यापारियों जैसे आय-व्ययक" सहित सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखियें संख्या एल० टी०—२५९९/६४]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

पचासवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं सरकारी उपक्रमों, प्रमुख नगरों में किराए पर लिए गए मकानों, अतिथि-गृहों और उनके द्वारा रखी जाने वाली स्टाफ कारों आदि के बारे में प्राक्कलन समिति का पचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : I had moved a motion that the time for discussion of the Demands of this Ministry may be extended by three hours.

Mr. Speaker : I have seen that we have already spent eight hours on this and an hour and a half more will be spent. Thereafter the Minister concerned will take an hour and a quarter in replying to the Debate. That way your purpose is solved. Therefore I did not feel the necessity of bringing your motion before the House.

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : In spite of the fact that 80 per cent of our population is dependent on agriculture, the Government have given more attention to industrial development than to agriculture during the three plan periods. A simple instance in support of my argument is that agriculturists have to pay more for power comparatively.

The pace of progress in regard to consolidation of holdings has been very slow. Except for the tractors, other modern agricultural implements are not being made available to the farmers. Such implements should be produced and placed at the disposal of the farmers, if we want that the production should increase. Irrigation facilities should be made available at cheaper rates. The Government should also see that the farmer gets proper price for his produce. The farmers should not be allowed to become victims of traders' exploitation. While fixing the price of the produce of a farmer the cost of production should be kept in view. The Government have got such sources by which it can find out the cost of production. Along with it, the Government should take upon itself the task of distribution. There ought to be state trading in foodgrains.

Our policy in regard to Sugar has been very fruitful. But I have a feeling that had the Government been more vigilant and had our ex-Minister for Agriculture not taken to a particular policy, certainly our production would have been more comparatively, and we could also export more quantities of sugar thereby. I would also like to warn the Government in respect of production of *khandsari*. If *Khandsari* is produced, our production of sugar is reduced by 3 per cent. This results in loss to the nation. Therefore, the Governmcnt should formulate a policy by which production of *Khandsari* may be discouraged.

Besides, we should try to increase the production of oil seeds also. If its production is increased we would be in a position to export oil seeds in larger quantities.

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : Largest part of our population is engaged in the field of agriculture. Agriculture industry is our mother industry. 52 per cent of the peasants have 5 to 10 acres of land, and hardly 3 per cent of these have been provided with irrigation facilities. This is the plight of these poor peasants.

Sixteen years have passed since we attained independence and the third Plan is being implemented, still we have not been able to cater to the needs of the poor peasants. More attention is being given to the import of foodgrains We are spending crores of rupees on them, but little efforts have been made to increase the indigenous production.

The Government have failed to give proper price to the farmer for his produce. This is the main reason why our indigenous production is on the decrease. The time has come when the Government must give expert advice to the farmers so that they may be able to increase production. The Government have appointed innumerable committees, but useful advice is yet not being given to the farmer.

There is widespread dissatisfaction among the farmers because they are not given proper price for their produce, and also because other articles of necessity are not available to them at cheaper rates. Some of them may prefer to be messengers in some office in order to get rid of their penurious state. This is mainly because we ignore our peasants and their problems.

We are building huge factories in cities but implements which are essential for the farmers are not being manufactured. Unless such implements are made available to them we can little expect that they will increase production.

Benefit of the increased prices of foodgrains has gone into the pockets of traders. The farmers did not benefit from them.

The Government is extending all kinds of facilities to other categories of people. Houses and quarters are being built, educational facilities are being given. There are playgrounds and subsidies for them. But an agricultural labourer is deprived of all these facilities. Even fair price shops are being opened in the cities and not in the villages. These are the reasons why our peasant is so much angry and dissatisfied.

Agriculture also has a scientific basis. The Government should change its plans so as to make them suitable and effective for the farmers.

The estimates of the irrigation projects are not prepared properly. Nagarjuna was estimated to cost 92 crores in the beginning but now it is estimated to cost 140 crores of rupees, yet water is not available from this project. It has become a white elephant for us. Targets on the other hand go on decreasing.

The Government should also try to change the food habits of the people.

The thefts and wastage which are rampant in the Agricultural Department should be remedied.

I must say that if present state of things are allowed to continue, after five or six years. the Government will be constrained to beg of people to take to agriculture. It will then offer subsidies and all kinds of help.

In the end I have to say that housing and other facilities are not being provided to the farmers, because our Minister has no power and no courage to speak and to take effective measures.

Shrimati Chavda (Banaskantha) : It is a matter of concern that our food problem is becoming grave day by day. There is a need to change properly and comprehensively our policy in respect of production, procurement and distribution of foodgrains. Our production during the last ten years have not increased in proportion to the amounts spent and the irrigation facili ties made available. To attribute shortfalls in production to the natural causes is wrong. In fact our whole approach to the problem of food production has been wrong. The farmer is not given proper

facilities at the proper time. His interest in modern methods of agriculture has not been aroused. Seeds, fertilisers, loans and irrigation facilities are not made available to them according to their needs. This is why the farmer feels discouraged. Agricultural department is also lacking in sympathy for the peasants.

The farmers should be trained in modern methods of agriculture through films, conferences and exhibitions. He should be made to realise that it is his duty to increase production. The people who participated in the agricultural symposiums held so far went there with only political motives. Only farmers should be allowed to participate in such gatherings.

We have constructed big dams in sufficient number. Now we should devote ourselves to small irrigation projects. The number of the village level workers should be increased.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन]

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Method of distribution and the rise in prices have further worsened the food problem. Our method of distributing foodgrains is faulty. There should be a check on the movement of foodgrains from one area to another. Fair price shops should be opened in greater number. It will put a check on the rising prices. The number of shops opened so far has been quite insufficient. Profiteers and black-marketeers should be tackled severely. The problem of food will not be solved only by forming food zones. Stricter measures will have to be taken to check the illegal movement of foodgrains from one zone to the other.

श्री केप्पन (मुवातुपुझा) : अनाज के उत्पादन में जो कमी रही है उसके लिये सरकार मौसम को दोषी ठहराती है परन्तु हमें देखना है कि क्या इस विज्ञान के युग में हमें केवल प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर करना चाहिए ? मूल्य निर्धारित करने के बारे में सरकार की नीति में स्थिरता नहीं पायी जाती। इसके अतिरिक्त, सभी कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित होने चाहिएं केवल कुछ वस्तुओं के ही नहीं।

हमारे किसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी जोतें बहुत छोटी छोटी हैं। उसी कारण वह आधुनिक कृषि औजारों को प्रयोग में लाने के लिये सक्षम नहीं है। अमरीका में जोतें बहुत बड़ी बड़ी हैं इसलिये वहां पर आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हो सकता है। यदि हम चाहते हैं कि खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करें तो छोटी छोटी जोतों को मिला कर बड़ी बड़ी जोतें बनानी चाहिएं।

दूसरी त्रुटि जो हमारे देश में है वह यह है कि यहां किसान एक ही भूमि के टुकड़े में सब कुछ पैदा करता है। एक भूमि प्रत्येक प्रकार की खेती के लिये उपयुक्त नहीं होती। इसलिये मेरा सुझाव है कि एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा इस बात का पता लगाया जाय कि कौनसी मिट्टी कौन सी वस्तु के लिये उपयुक्त है और फिर किसानों को इस बात की जानकारी दी जाय और यदि उर्वरक आदि डाल कर एक भूमि के टुकड़ को किसी वस्तु के पैदा करने योग्य बनाया जाना वांछनीय हो अथवा सम्भव हो तो इस प्रकार की सूचना किसान को दी जाय।

उर्वरक के सम्भरण, आवश्यक ऋण एवं कृषि औजारों के सिलसिले में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा उचित काम नहीं कर रहे हैं। उनकी नीति सारे देश के लिये एक समान हैं। वास्तव में भारत जैसे विशाल देश के लिये एक समान नीति उचित साबित नहीं हो सकती। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि कृषि के सिलसिले में व्यय करने और योजनायें बनाने के लिये इन खंडों के पदाधिकारियों और सलाहकार समिति को स्वविवेक से काम करने दिया जाय ताकि वह स्थिति के अनुकूल कार्य कर सकें।

ऋण देने के मामले में भी एक समान नीति का अनुसरण करना अनुचित होगा। उदाहरणतः जहां पर काली मिर्च की खेती होती है वहां पर किसानों को अल्पकालीन ऋण देने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। इसलिये किसानों की आवश्यकता अनुसार ही ऋण उपलब्ध किये जाने चाहिएं।

दिल्ली दुग्ध योजना में काम बहुत अनियमित ढंग से हो रहा है। पिछले दिनों में ४ लाख रुपये का मक्खन खराब कर दिया गया। कई बार इस विषय में प्रश्न पूछ गये परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। जो इस मामले में जांच हो रही थी उस का क्या परिणाम निकला? लोक-लेखा समिति द्वारा इस योजना के कार्य संचालन के बारे में कड़ी आलोचना की गई है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

Shri Bal Krishna Singh (Chandauli) : Agriculture is a major industry of our country. It is most unfortunate that people look down upon the agriculturists. There are more than 200 committees working under the Department of Agriculture but they have failed to meet the demands of the farmer. The difficulties of the farmers remain unsolved. The facilities made available to them either do not reach upto them or if they reach they do not reach at the proper time.

Today we have to increase production throughout the country and for that we must increase the capacity of the land to produce more. Modern implements should be made available to the farmers at cheaper rates.

In fact the Government do give all the facilities, but its agents through whom it works are not fair. They do not fulfil their responsibilities. If seeds, fertilisers, and irrigation facilities are not made available to the farmers in time, it will result in national loss and it will deteriorate further the economic condition of the farmers.

The irrigation facilities are either not adequate or not given properly. The officers concerned with tube wells and canals do not treat the farmers properly. They even look down upon them. Proper measures should be taken to remedy this.

The pesticides should be provided to the farmers free of charge. Wherever crops are destroyed due to natural calamities, farmers should be given compensation.

The children of the agricultural labourers should be given education free of charge. Their lot can be improved only by improving the conditions of agriculture, but the improvement in agriculture is in turn dependent on the condition of the labourers.

Modern implements should be made available to the farmers. Cheaper tractors should be manufactured.

In Eastern part of U.P. the Planning Commission had decided to conduct a survey only in four districts . Attention should be given to the other districts also since the condition prevailing in all these districts is the same.

The Government have formulated a number of plans. Speeches are also delivered day in and day out. But something concrete should also be done. I suggest a committee of Members of Parliament should be appointed att every Commissioner's level, which may establish direct contacts with the farmers and thus after acquiring full knowledge of their problems and difficuties, formulate plans to remedy them.

Shri K. D. Malaviya (Bhiwani): I want to know the number of bullocks used in cultivation.

The Minister of State in the Ministery of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : 6½ crores.

Shri K. D. Malaviya : This figure represents total working cattle including mules and horses. But we have not got more than 540 lakhs of bullocks to plough our farms. We are going to have 18 or 20 thousand tractors by the end of the Third Five Year Plan and we have a target of 110 or 120 millions tons of production by 1968 or 1970. These bullcocks and tractors are insufficient to cultivate 33 acres of land. This is a serious matter and should be looked into.I want to know the yield per acre from the 550 lakhs of acres of land which is owned by 440 lakhs of small cultivators.These small holdings should be made remunerative and the yield per acre should be raised. More bullocks and tractors should be made available to the farmers so that the targets may be fufilled.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajiar) : The farmers should be paid remunerative prices of their produce as is done in this case of factory products. The whole family of a farmer is engaged in cultivation work. Their labour also should be taken into consideration in fixing prices of agricultural commodities. We also wish that the floor prices should not be fixed at a higher scale but the difficulty is that the farmers do not get other things which they requlre in their daily life at reasonable prices. Government should, therefore, exercise some check on their prices also.

So far as sugarcane is concerned, the cane growers are not allowed to manufacture gur or shakkar from their sugarcane. They are forced to supply sugarcane to sugar mills and the sugar mills do not accept inferior quality cane. It is strange that baggasse which is used as firewood sells at Rs. 4 per maund whereas the price of sugarcane has been fixed at Rs. 2 - per maund. This kind of thing does not help to improve the lot of the farmers.

The bullocks and cows are essential for the promotion of agriculture. If we want to attain self-sufficiency in the matter of foodgrains, we should ban cow slaughter by law. In the areas which cannot be served by canals, tubewells facilities should be provided there. More emphasis should be laid on the production of foodgrains, milk, ghee, vegetables etc. rather than on poultry farming.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Jainagar) : Government should bring forward the Constitution (Seventeenth Amendment) Bill without any further delay. The land should belong to the tiller of the soil. The people with uneconomic holdings and landless villagers should be given land. Unless a comprehensive land reform legislation is brought forward, we cannot solve this problem soon. Speculation in foodgrains should be stopped, as suggested by the Mehta Foodgrains Enquiry Committee. Rice and sugar mills should be nationalised. I have no objection even if they are run on cooperative lines.

Mention has been made of the prices stabilisation board. It is necessary that the floor prices of commodities should be fixed. The hon. Minister should follow a firm pricepolicy in this matter. There should be some relation between the prices of finished products and raw materials so that the farmer is not made to suffer on that count.

Shri Rattan Lal (Banswara) : More attention should be devoted for the development of hilly regions. Small irrigation schemes like construction of irrigation tanks and wells should be taken in hand in these areas. The village level workers or patwaris are overburdened with other work and they have no time to educate the farmers. A whole-time worker should be deputed in the villages to give suggestions and impart knowledge of improved techniques to the farmers.

More money should be earmarked for small irrigation schemes and the farmers should be benefited by them. Chemical fertilsers should not be supplied to the areas where there are no irrigation facilities, because it will not produce any result there. The crops should not be allowed to be destroyed by pests. Prompt measures should be taken to check these diseases to crops.

Small ploughs should be made available to the farmers. Taccavi loans etc. should be given to them in time.

Shri R. S. Pandey (Guna) : So far as agriculture is concerned the plan investment should be raised from the present 20 percent to 50 percent. The Chambal Ravines schemes, which aims at reclaiming 60 lakhs of acres of land, should be given top priority. The fallow and other waste land should be made cultivable by tractorisation. Both these schemes should be taken in hand on a war footing.

The political parties should take a vow to work among the farmers and help increase production.

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : If Government is serious in regard to increase in agricultural production, it should resort to land reforms and intensive cultivation. The people who have more lands do not produce more. Land should be given to the tiller of the soil. A farmer should not have more than 10 acres of irrigable land. No land revenue should be realised from the farmers with a total income of Rs. 3,600 per annum as is the case with people engaged in non-agricultural occupations. Land should be taken away from a farmer who produces less than 10 mds. per acre. By tak ng these measures, we can imcrease production.

By providing more irrigation facilities, the production can be increased many-fold. The farmers should be given reasonable prices of their produce.

The lot of the agricultural employees should be improved. They should be made permanent. The agricultural services should be expanded and the class 2 Officer of this service should not be made to work under a Deputy Collector.

Fertilizsers should be supplied to the farmers at subsidised rates. Both nitrogenous and phosphoric fertilisers should be made available to them. Before formulating a scheme for the use of cowdung as manure a substitute fuel must be found out for the villagers.

The farmers should be supplied irrigation facilities, seeds, fertilisers etc. in time to make our plans a success.

Shri Kachhavaiya (Dewas) : I should be given an opportunity to speak on this important topic.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I have not participated in the budget discussion during this session. I may be given five minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं समय नहीं दे सकता। और भी बहुत से सदस्य हैं जिन्हें समय नहीं मिला है।

Shri D. S. Patil : What is the use of sitting here when one does not get a chance to speak.

(इसके पश्चात् श्री दे० शि० पाटिल सभा भवन से उठकर बाहर चले गये)

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जिन सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला है वे अपने सुझाव मेरे पास भेज सकते हैं। मैं उनके सुझावों पर पूरा ध्यान दूंगा।

जहां तक श्री मोरे की आपत्ति का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प विशेष परिस्थितियों में बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् हम औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते थे अतः सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के योगदान की परिभाषा करना जरूरी था ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र को यह पता लग जाय कि उसने किन किन उद्योगों का विकास करना है। अतः कृषि के लिये एक पृथक् संकल्प का होना जरूरी नहीं था। परन्तु कृषि उत्पादन से सम्बंधित समस्त बातें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में दे दी गई हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि कृषि के मामले में हम किसी नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तीसरी योजना में यह दिया हुआ है कि हमारी भूमि सम्बन्धी नीति के जो उद्देश्य हैं। एक यह कि पुराने भूमि ढांचे से कृषि उत्पादन की वृद्धि के रास्ते में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर किया जाय और दूसरा यह है कि कृषि प्रणाली से शोषण तथा सामाजिक अन्याय समाप्त किया जाय ताकि हल जोतने वाले को शोषण से बचाया जा सके और ग्रामीण जनता को समान पदवी तथा अवसर प्रदान किये जा सकें। इस कथन से ही माननीय सदस्यों की बहुत सी बातों का समाधान हो जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो वैधानिक उपाय किये गये हैं; मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा। भूमि स्वामित्व में अधिक असमानता को समाप्त करने, बिचौलियों को खत्म करके भू-सम्पदा को अधिक व्यक्तियों को देने, किसानों द्वारा जमींदारों को दिये जाने वाले लगान को कम करने, किसानों को भूमि का मालिक

[श्री स्वर्णसिंह]

बनाने, भूमि धारण की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा विस्थापित किसानों, अलाभप्रद भूमिधारियों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को फालतू भूमि देने तथा बिखरी हुई जोतों की चकबन्दी करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं। विभिन्न राज्यों ने तीसरी योजना में दी गई नीति का पालन किया है और उसमें हमें काफी सफलता भी मिली है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में इस बात का बहुत उल्लेख किया गया था अतः सरकार ने उच्च स्तर पर एक समिति बनाने का निर्णय कर लिया है। मैं भी उसके सदस्य के रूप में कार्य करूंगा। कुछ मुख्य मंत्री तथा योजना आयोग का एक प्रतिनिधि भी उस समिति के सदस्य होंगे। वह समिति इस प्रश्न की जांच करेगी कि पंचवर्षीय योजनाओं विशेषकर तीसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं अथवा नहीं। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि जो भी त्रुटियां पाई जायेंगी उन्हें दूर किया जायेगा।

एक और महत्वपूर्ण बात जो तीसरी योजना में दी हुई है वह यह है कि खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर होना तथा उद्योग तथा निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाना। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि हम इस उद्देश्य में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं परन्तु मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि हम योजना में निर्धारित नीति का पालन नहीं कर रहे हैं या केवल तदर्थ उपाय कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किये गये हैं अपितु उनकी विस्तार से व्याख्या भी की गई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दिशाओं में ठोस कदम उठाये जाने हैं।

दूसरी बात सघन खेती की है और योजना आयोग ने कहा है कि जहां सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो तथा सहकारी आन्दोलन अच्छी तरह चल रहा हो, सघन खेती बड़े पैमाने पर की जानी चाहिये। इसके लिये संगठित प्रयत्न करना होगा और सभी किसानों को इसे अपनाने के लिये कहना चाहिये।

पैकेज कार्यक्रम के संबंध में की गई कार्रवाइयों से सभा परिचित है। कुछ जिले भी सघन खेती के लिये चुने गये हैं।

मूल्य नीति के बारे में सरकार का विचार है कि खाद्यान्नों तथा कृषिजन्य वस्तुओं की कीमतें उचित स्तर से नीचे न गिरने पायें और इतनी भी बढ़ने न पायें कि उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़े।

मा० सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, उनमें केवल एक बात पर बल दिया है और समूचे चित्र को व्यापक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जिसका चौथी योजना में वर्णन किया गया है।

हमारी ऋण नीति का आधार योजना में निर्धारित कृषि संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सहायता देना है। प्रोत्साहन उन चार बातों में से एक है जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। यह कहना गलत है कि हमारी कोई सुनिश्चित नीति नहीं है। श्री मोरे की बात का उत्तर आन्ध्रप्रदेश की महिला सदस्या न दे दिया है कि नीतियां बहुत उत्तम बनाई गई हैं। मैं यह मानता हूं कि क्रियान्विति उतनी नहीं हो पाई जितनी कि मैं चाहता था। अतः अब हमने इस ओर अधिक ध्यान देने का विचार कर लिया है।

यह धारणा बन रही है कि हम राज्यों पर उत्तरदायित्व डाल कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं। संविधान के अनुसार कृषि पूर्णत: राज्य का विषय है और केन्द्रीय मंत्रालय योजना में अखिल भारतीय दृष्टिकोण रखने के उद्देश्य से रखा गया है, अर्थात् कम फसल के लिये आयात, योजना बनाना मूल्य संबंधी नीति आदि बनाना, या निर्यात नीति बनाना आदि। यह उत्तरदायित्व इस, मंत्रालय का है कि योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में आगे बढ़ाया जाए और उन की हर प्रकार से सहायता की जाए। समन्वय के अतिरिक्त भी हमने कई काम किये हैं। बहुत से मामलों में राज्यों के संसाधन ऐसे नहीं होते कि वे अकेले काम चला सकें, इसलिये कृषि विभाग के मामले में समन्वित दृष्टिकोण रखने और त्रुटियों अथवा कमियों के मामले में उनकी सहायता करना केन्द्र का काम होता है।

ग्राम विवाद तथा विकास से संबंधित मंत्रियों और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात करने पर मुझे यह अनुभव हुआ है कि राज्यों में उनके उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण जागरूकता है। हम जब कोई सुझाव देते हैं और वे राज्य परिस्थिति के अनुसार उस में कुछ अन्तर करना चाहें, तो उन्हें करने दिया जाता है।

हमारी नीतियों को चलाने के लिये किये गये कार्यों के बारे में डा० राम सुभग सिंह बता चुके हैं। केन्द्र तथा राज्य दोनों में राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों स्तरों पर प्रशासनिक समन्वय खूब अच्छी तरह किया गया है। कृषि उत्पादन बोर्ड की बैठकों में प्रति मास निर्णय कर लिये जाते हैं। विभागों के सचिव बातों को ध्यान में रख कर तदनुसार कार्रवाई करते हैं। यह लालफीताशाही को कम करेगा। राज्यों में मुख्य मंत्री स्वयं इस कार्य में अभिरुचि ले रहे हैं। कीमतों को गिराने के लिये उत्पादन बढ़ाने के निमित्त प्रशासनिक समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। और इसी में योजना के उद्देश्य पूरे होने में सहायता मिलती है। इन के कारण कृषि सम्बंधी कार्यक्रमों के लिये वित्तीय परिणाम में काफी वृद्धि हुई है। योजना आयोग ने १९६४–६५ के लिये १४७ करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। छोटी सिंचाई योजनाओं तथा भूमि संरक्षण आदि बहुत से आवश्यक कृषि उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों के लिये १५ करोड़ रुपया देना और मंजूर किया गया है। और आशा है कि इस के लिये कुछ और धन भी दिया जाएगा।

कई बार विरोधी पक्षों के लोग कृषि उपज की बढ़ौती को भुला देते हैं। १९४९–५० से १९६१–६२ में ४.०७ प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि हुई। इसी अवधि में खेती के क्षेत्र में २ प्रतिशत प्रति वर्ष और उत्पादकता में १.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खाद्यान्नों में ४.०६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है। इस में से खेती के क्षेत्र और उत्पादकता में पर्याप्त वद्धि हुई है। जन संख्या में २ प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए कृषि की वृद्धि उपलब्धि और मांग के बीच के अन्तर को कुछ कम करती है। इस वृद्धि को और बढ़ाने की जरूरत है। किसी दूसरे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतनी अवधि में इतनी प्रगति नहीं हुई।

इस वर्ष मार्च के अन्त तक २३.२५ लाख टन चीनी उत्पादन हो जाएगा। यह पिछले सब वर्षों से अधिक है। सारे वर्ष में २६–२७ लाख टन तक उत्पादन होगा और गत वर्ष की १.७ लाख टन चीनी को जोड़ कर इस वर्ष २८.२ लाख टन की उपलब्धि

[श्री स्वर्णसिंह]

होगी । इस वर्ष २ १/२ लाख टन चीनी का निर्यात हो सकेगा । हम वर्तमान वितरण प्रणाली के आधार पर देश में वितरण करने के लिये २३.४ लाख टन की जरूरत होगी । प्रति रक्षा के लिये ६०,००० टन की और सिक्किम, भूटान तथा नेपाल की आवश्यकता भी पूरी करनी है और अगले वर्ष के लिये भी कुछ चीनी रखनी है । अतः इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए स्थिति कुछ तेजी की है, परन्तु हम यह सर्वाधिक उत्पादन कर पाये हैं । गत वर्ष की अपेक्षा ५ लाख टन की वृद्धि हमारी आशा के अनसार न होने के कारण राज्यों के संभरण में ५ प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी ।

हम गुड़ और खांडसारी के आने जाने पर प्रतिबंध जारी रखना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ८ करोड़ है, महाराष्ट्र तथा आंध्र में मांग बहुत है । कमी वाले क्षेत्रों में भी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है । बाहुल्य वाले क्षेत्रों में कीमतें बढ़ जाने से देश भर में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है । चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार का यह प्रयत्न होगा कि मिलों को जो गन्ना दिया जाता है, उस के दाम तुरन्त दे दिये जाएं । इस समय तक ८६ प्रतिशत कीमत गन्ना उत्पादकों को दी जा चुकी है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(MR. SPEAKER *in the Chair*)]

सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के संबंध में सभा ने विशेष प्रोत्साहन देने की इच्छा व्यक्त की है । मैं यह बता दूं कि हमने सहकारी क्षेत्र में २० नई चीनी फैक्टरियां खोलने की सिफारिश करने का फैसला किया है और सहकारी क्षेत्र में २६ फैक्टरियों को बढ़ाने की भी सिफारिश की है । इस का यह अभिप्राय है कि सहकारी क्षेत्र में ६ लाख टन अतिरिक्त क्षमता बढ़ेगी । चीनी उद्योग के बारे में हमें दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से विचार करने की जरूरत है । चीनी उद्योग के विकास की उन्नति से संबंधित योजनाओं को बनाते समय इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि गन्ने के उत्पादन को भी बढ़ाया जाए और गन्ने में चीनी की मात्रा को भी बढ़ाया जाए । चीनी के जो उप-उत्पाद होते हैं, उन का उद्योगों तथा अन्य कार्यों के लिये खपत की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रयोग में लाने की जरूरत है । अतः चीनी उद्योग की आवश्यकताओं एवं गुड़ तथा खांडसारी उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कुछ सामंजस्य करने की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश में हम गन्ने में चीनी की मात्रा तथा गन्ने की मात्रा को बढ़ाने में सफल हुए हैं ।

चीनी उद्योग के संबंध में हमें इस बात पर विचार भी करना होगा कि कोई दीर्घ-कालीन विचार किया जाए । कुछ ऐसे चीनी उद्योग हैं जो अपने पांवों पर खड़े नहीं रह सकते, उन को लाभ की जगह हानि उठानी पड़ती है । अतः उन की समस्या भयानक है । एक समिति बनाई गई थी, जिस ने उन इकाइयों को अपने पांवों पर खड़ा होने योग्य बनाने के संबंध में विचार किया था । अभी उस समिति के प्रस्ताव हमारे पास नहीं आये । जब उसके प्रस्ताव हमारे पास आ जाएंगे तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या उन चीनी फैक्टरियों को ऋण देने या उन को पांवों पर खड़ा करने के स्थान पर उन पर कब्जा कर लेना या उन का प्रबंध सरकार के हाथों में ले लेना उत्तम होगा । सरकार

इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ताकि चीनी उद्योग और चीनी के उत्पादन में कोई कमी न होने पाये ।

चावल उत्पादन के संबंध में हमारी स्थिति अधिक खराब नहीं है । वर्ष १९६१-६२ की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । चावल का अतिरिक्त संरक्षण किया गया था, उस का असर बाजार पर और ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत अच्छा हुआ है । इस कारण भी चावल की प्राप्ति अधिक होगी और जिस प्रकार १९६३ के अन्तिम भाग में चावल के दामों में वृद्धि हुई थी, उस प्रकार चावल के दाम इस वर्ष नहीं बढ़ेंगे । अत: हमें चावल के संबंध में भयभीत होने की जरूरत है । सामान्यत: चावल सम्भरण की स्थिति ठीक रहेगी ।

वर्तमान वर्ष में गेहूं का उत्पादन कुछ कम होने की संभावना प्रतीत होती है । इसी कारण हमने गहूं उत्पादन में बाहुल्य वाले क्षेत्रों को गेहूं की कमी वाले क्षेत्रों से पृथक रखने का इरादा किया है । गेहूं उपभोक्ता क्षेत्रों में इस बात को अच्छा माना गया है । अब गेहूं के दाम गिरने लगे हैं और आशा है कि दाम और गिरेंगे । जिन इलाकों में ज्वार पैदा होता है, यदि वहां ज्वार की पैदावार कम होगी तो हम उन क्षेत्रों को गेहूं दे कर ज्वार की कमी को पूरा कर सकते हैं । इन समस्त परिस्थितियों को देखते हुए, हमें वर्तमान वर्ष में गेहूं की स्थिति के संबंध में निराश होने की आवश्यकता नहीं । गेहूं का उत्पादन एवं सम्भरण देश की आवश्यकता को न्यूनाधिक रूप में पूरा कर सकेगा, ऐसी आशा की जाती है ।

सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि फसल के बाद जो दाम हों उन में तथा फसल से पहले के दामों में अधिक अन्तर न रहने पाये । कीमतों के उतार-चढ़ाव को रोकने के लिये सरकार प्रत्येक संभव कार्रवाई करेगी ।

यह बात नितान्त स्पष्ट है कि जब तक देश की आन्तरिक पैदावार में इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती कि हम स्वावलम्बी हो जाएं, तब तक हमें देश की खाद्यान्न सम्बन्धी वर्तमान कमी और जरूरत के लिये भण्डार रखने के हेतु विदेशों से खाद्यान्न का निर्यात करना होगा । और इसके लिये आवश्यक है कि हम नियंत्रणों और विनियमनों का भी सहारा लें, ताकि जनता के उन वर्गों और श्रेणियों को खाने पीने की चीजें ठीक दामों पर मिल जाएं । राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी हमें बजार की कीमतों में स्थिरता लाने की जरूरत है । सरकार इस कार्य के लिये पूर्णतया प्रयत्नशील है और प्रत्येक जरूरी कार्रवाई करेगी, ताकि गरीब जनता का शोषण न होने पाये और कीमतें भी उचित स्तर पर कायम रहें ।

व्यापारी लोग यदि ठीक ढंग से आचरण करते हैं तो उन को किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं । डरना तो उन को पड़ता है, जो गलत काम करके मुनाफाखोरी या जमाखोरी करते हैं । व्यापारियों को चाहिये कि वे सामाजिक उद्देश्यों को पूरे करें और सरकार वितरण के जरूरी प्रक्रमों पर नियंत्रण रखेगी ताकि हम प्रभावशाली ढंग से काम कर सकें । यदि कीमतों में असाधारण वृद्धि होती है तब राजकीय नियंत्रण की जरूरत पड़ती है और निर्माण संगठन अनिवार्य हो सकता है । रोलर मिलों तथा आटा मिलों पर सरकार

[श्री स्वर्ण सिंह]

ने नियंत्रण लगा रखा है । चावल मिलों के बारे में सरकार राज्यों की सरकारों को कह रही है कि भुवनेश्वर में जो संकल्प पास किया गया था, उस को पूरा करने का प्रयत्न किया जाए । हमें भावावेश से परे रह कर इन सब महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए । मैं स्वतंत्र पार्टी की इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि भाव बढ़ने पर भी राजकीय व्यापार का सहारा न लिया जाए । हमें बाजार भाव को स्थिर रखने का प्रयत्न करना होगा ।

श्री रंगा : मैं एक छोटी सी बात कह दूं । यदि मैं भी आपकी जगह हो जाऊं तो मुझ से भी वही कहलवाया जायगा जो आप कह रहे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि आपकी यही नीति रही तो आपको बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा ।

श्री रंगा : मैं चाहता तो काफी समय पहले माननीय मंत्री का पूर्वाधिकारी बन सकता था ।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य मेरे दल में रहते तो ऐसा सम्भव हो सकता था । जब तक माननीय सदस्य इस दल में रहे तब तक वह एक प्रगतिशील नीति का अनुसरण करते रहे । अब वह एक ऐसे दल में शामिल हो गये हैं जिस की नीतियां पूर्णतः प्रगतिगामी हैं । **(अन्तर्बाधा)**

मैं यह कह रहा था कि यदि सरकार को मूल्योंको की किसी सीमा को बनाये रखना है तो उसे बाजार से माल खरीदना पड़ेगा ताकि अनाज के मूल्य एक सीमा से नीचे गिरने न पायें । हम यह कदाचित नहीं चाहते कि खाद्यानों के व्यापार में किसी का एकाधिकार हो । हमारा उद्देश्य तो कुछ अवस्थाओं पर अनाज के मूल्यों पर नियंत्रण रखना है । एक ओर तो यह कहा जाता है कि फसल के समय मूल्यों को अधिक गिरने न दिया जाय और मौसम के आखिर में मूल्यों को बढ़ने न दिया जाय, दूसरी ओर जब नियंत्रण की बात की जाती है तो वही लोग उस का विरोध करते हैं ।

श्री यशपाल सिंह जी ने कहा कि बड़े बड़े व्यापारियों को इतना लाभ क्यों कमाने दिया जाता है परन्तु स्वयं उन के दल के लोग उन के कथन का विरोध करेंगे, यह शायद उन्हें मालूम नहीं है ।

मैंने कृषि उत्पादन, दीर्घकालीन नीतियों और अल्पकालीन समस्याओं की चर्चा की है । मैंने यह भी बताया है कि खाद्य समस्या के बारे में सरकार की दीर्घकालीन विचारधारा क्या है । यह समस्या निस्सन्देह बहुत पेचीदा है । दीर्घकालीन प्रसंग में अस्थायी कठिनाईयां सामयिक महत्व रखती हैं । परन्तु यदि अन्तिम उद्देश्यों का ढांचा हमारे सामने है और हम अपने भूत के अनुभवों से सबक सीखते हैं तो मुझे सन्देह नहीं है कि सच्चाई, कर्त्तव्यनिष्ठा, तत्परता और अनुशासन से हमारे उद्देश्य फलीभत होंगे ।

Shri Bagri : I want to know the difference in prices, between the two crops, that would be allowed to prevaim ?

Shri Kashi Ram Gupta : I want to know whether the imported wheat will be supplied in the big cities of the surplus States, in view of the prevailing psychology among the people there that the imported wheat is very inferior ?

श्री इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी जिस से अधिक गेहूं वाले खंड में मूल्यों में बहुत अधिक अन्तर न रहे ?

श्री मा० श्री अणे (नागपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि मूल्य निर्धारित करते समय आम व्यक्ति की क्रय क्षमता को ध्यान में रखा जायगा या केवल किसान के हित को ही समक्ष रखा जायगा ?

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether the lands, which were not included under the rules before Independence, have been now included in the agricultural figures given ?

Shri Kachhavaiya : I want that the hon. Minister should say something about the Delhi Milk Scheme also, in which malpractices have come to light on a large scale.

श्री जसवन्त मेहता : सरकार द्वारा चीनी के अलाभप्रद एककों के बारे में एक समिति गठित की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सारे उद्योग को अपने हाथ में ले लेगी अथवा सभी अलाभप्रद एककों को ही ?

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has said nothing about the steps that are likely to be taken to curb the rising prices in the near future.

Shri Onkar Lal Berwa : In a recent meeting in Rajastham, the Minister there have decided not to spend anything on the tube-wells. I want to know whether the Central Government intend to dig the tubewells for this famine-stricken area or not ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री स्पष्ट रूप से बतायें कि देश में पौदा संरक्षण योजना पर कितना धन व्यय किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि खेती बीमा योजना के सिलसिले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं यह जानना चाहती हू कि क्या आंकड़ों से इस बात का पता चलता है कि किसानों को जिन उत्पादन सम्बन्धी वस्तुओं का सम्भरण किया गया क्या उन का प्रयोग एक ही भूमि के टुकड़े पर किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : राजस्थान तथा अन्य अभावग्रस्त क्षेत्रों में सभी प्रकार की सहायता करने के लिए कदम उठाये गये हैं। जहां तक खेती से पूर्व और खेती के पश्चात् के काल में मूल्यों का सम्बन्ध है मैं ने अपने भाषण में उसकी चर्चा की है।

श्री काशी राम गुप्त ने आयात किये गये गेहू की चर्चा की। मैं समझता हूं कि अब इस गेहूं को अधिक लोग नापसन्द नहीं करते।

श्री इकबाल सिंह ने, अधिक गेहू वाले क्षेत्रों में इस के मूल्यों की बात पूछी। स्वयं पंजाब सरकार यह मांग करती रही है कि पंजाब को एक अलग खंड के रूप में रखा जाय। दिल्ली को पंजाब के साथ रखा गया है। इस वर्ष हम पंजाब को ३,००,००० टन आयात किया हुआ गेहूं देंगे और वहां से ३$^{1}/_{2}$ लाख टन गेहूं का निर्यात किया जाता है। इस लिए वहां पर शेष ज्यादा गेहूं नहीं रह जायगा। यदि गेहूं के मूल्य अधिक कम हुए तो राज्य सरकार गेहूं खरीदेगी।

डा० अणे के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता कि हम उपभोक्ता एवं किसान दोनों के हितों की दृष्टि से मूल्य निर्धारित करेंगे।

[श्री स्वर्ण सिंह]

चीनी के अलाभप्रद एककों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस बारे में हम विचार करेंगे कि अलाभप्रद एककों को लाभप्रद बनाने के लिए अधिक असुविधायें दी जायें अथवा उसका प्रबन्ध कार्य अपने हाथों में लिया जाये। यह प्रश्न राष्ट्रीयकरण से भिन्न है।

जहां तक श्री सरजू पाण्डेय के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं बता चुका हूं कि मूल्यों की एक सीमा से बढ़ने या कम होने से रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाये गये हैं।

राजस्थान के लिए नलकूपों सम्बन्धी कार्य परीक्षात्मक नलकूप संगठन द्वारा राज्य के विभागों के सहयोग से किया जायगा। जो व्यय इन पर होगा वह केन्द्रीय सहायता से ऋणों के रूप में किया जायगा।

जहां तक कीटनाशकों का सम्बन्ध है इस बारे में हमें अभी बहुत कुछ करना है। मैं राज्य सरकारों के सम्पर्क में हूं और इस से सम्बन्धित कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या २३ सभा के मतदान के लिए रखा गया

लोकसभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में ३७; विपक्ष में १०६

The Lok Sabha divided : Ayes : 37 ; Noes : 106.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १४० सभा के मतदान के लिये रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में ३५ ; विपक्ष में १०७ ।

The Lok Sabha divided : Ayes : 35 ; Noes : 107.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All other cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Ministry of Food and Agriculture were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	७७,७१,०००
३७	कृषि	४,००,११,०००
३८	कृषि अनुसन्धान	६,१८,२३,०००
३९	पशु-पालन	१,०३,५३,०००
४०	वन	१,१४,४६,०००
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१७,०८,५२,०००
१२४	वनों पर पूंजी परिव्यय	१,७७,०००
१२५	खाद्यान्नों की खरीद	२,१९,५४,४९,०००
१२६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	६७,५३,९७,०००

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वह कर दें और यदि वह अन्यथा ग्राह्य हुए तो वह प्रस्तुत माने जायेंगे।

वर्ष १९६४–६५ के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६७	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय .	२३,६८,०००
६८	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें . .	१,७६,०३,०००
६९	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	८,२६,२२,०००
१३२	बहुप्रयोजनीय नदी योजना पर पूंजी परिव्यय .	९,६६,७८,०००
१३३	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	८,५६,७८,०००

डा० सारदीश राय (कटवा) : जब से सुप्रसिद्ध इंजीनियर ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से इस दृष्टिकोण में अन्तर आ जाना चाहिए था। मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की उन परियोजनाओं में कार्य संचालन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति के बुरे परिणाम हो सकते हैं जो मुख्य इंजीनियर के अधीन हैं। पदाधिकारी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। इसलिये हो सकता है कि मंत्री की कार्यवाहियों के कारण हुई किसी असफलता का प्रयोग किसी अनुचित प्रयोजनार्थ किया जाय।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि सिंचाई क्षमता सम्बन्धी तीसरी योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इसका कारण यह बताया गया है कि लक्ष्य आशावादी प्रवृत्ति से बहुत अधिक निर्धारित किये गये थे। यह प्रवृति सभी परियोजनाओं के सिलसिले में पाई जाती है।

तीसरी योजना के लक्ष्यों के प्राप्त न हो सकने का एक कारण यह बताया गया है कि जल संसाधनों का प्रयाप्त रूप में प्रयोग नहीं किया गया। जल संसाधनों के प्रयोग में न लाये जाने का कारण यह है कि किसानों से जल की दर बहुत ज्यादा प्राप्त की जाती है। सरकार को जल की दर कम करनी चाहिए ताकि किसान जल संसाधनों को पर्याप्त रूप से प्रयोग कर सके।

तीसरी योजना के अन्त तक बड़ी एवं मध्यम श्रेणी के परियोजनाओं के द्वारा २६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी जो कि हमारी आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कम होगी। इसलिए सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने की जरूरत है।

इस समय जो सिंचाई क्षमता है उसका ८० प्रतिशत मात्रा ही प्रयोग में लाया जाता है। दामोदर घाटी निगम में एक तिहाई भाग जल का अप्रयुक्त रहता है। इसका कारण यह है कि

[डा० सारादीश राय]

वहां पर जल वितरण व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । सिंचाई को उचित महत्व भी नहीं दिया जाता । विद्युत् प्रजनन, औद्योगिक कार्यों और नौवहन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है । यही कारण है कि सिंचाई क्षमता अप्रयुक्त रहती है ।

सारे देश में, विशेषकर बंगाल, बिहार दामोदर घाटी निगम खण्ड में पिछले तीन वर्ष से विद्युत् की कमी का अनुभव किया जा रहा है । इस कारण नये उद्योग स्थापित नहीं किये जा रहे हैं और जो उद्योग पहले ही स्थापित हैं वह ठप्प पड़े हैं । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा २९२ नल कूप खोदे गये थे जिन में से १७६ बेकार पड़े हैं । इसका कारण विद्युत् की कमी ही है । इसलिए विद्युत् परियोजनायें निर्धारित समय में ही पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अधिकतर राज्यों में घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत् की दर उद्योग में प्रयुक्त होने वाली विद्युत् से २–३ गुना है । कृषि के लिए जो विद्युत् प्राप्त होती है उद्योग की तुलना में १ से २ गुना अधिक दर देनी पड़ती है । उद्योग को बहुत कम दरों पर विद्युत् उपलब्ध की जाती है । मेरा सुझाव है कि उद्योग के लिए विद्युत् की दर बढ़ा देनी चाहिए और यह दर सारे देश में एक समान होनी चाहिए । दूसरी तरफ कृषि एवं सिंचाई प्रयोजन के लिए विद्युत् सस्ती दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ सके ।

कलकत्ता एलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो लाखों रुपयों की बचत हो सकती है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण में सभी राज्यों की एक समान प्रगति नहीं हुई है । पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग देश में सर्वोच्च है जब कि वहां पर सब से कम गांवों का विद्युतीकरण हुआ है । कई अन्य राज्यों में रिज्यरि इस के बिल्कुल उलट है । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि सिंचाई एवं घरेलू उद्योगों के लिए विद्युत् अवश्य उपलब्ध की जाये ।

प्रत्येक वर्ष बाढ़ों से इतनी हानि होती है । तीसरी योजना की अवधि में बाढ़ों पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक अनुदानें प्राप्त की जानी चाहियें । पश्चिम बंगाल में अजोय नदी में बाढ़ आती है परन्तु उस का वर्णन प्रतिवेदन में नहीं पाया जाता । मंत्रालय को चाहिए कि बाढ़ों पर काबू पाने के लिए उचित कदम उठाये ।

दामोदर घाटी निगम का, जिस पर देश को बड़ी आशायें थीं, अब विघटन हो रहा है । वहां के सेविवर्ग में काम के प्रति निष्टा का अभाव है । ऊपर से लेकर नीचे के स्तर तक कर्मचारियों का नैतिक पतन हो रहा है । इस का कारण यह है कि वह निगम के भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हैं । सिंचाई के लिये जल के सम्भरण के मामले में दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल और केन्द्रीय विद्युत् आयोग यह तीन प्राधिकार हैं । इसलिए इस निगम का केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्गठन किया जाना चाहिये ।

निगम द्वारा नौवहन नहर पर ५ करोड़ रुपये व्यय किये गये । इस नहर का इतना, प्रयोग नहीं किया जा रहा जितना कि किये जाने की आशा थी । परन्तु इस नदी के कारण कृषकों को कम जल दिया जा रहा हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में सर्वेक्षण करके देखा जाए कि इस नहर का कोई लाभ है अथवा नहीं । यदि इस का इतना लाभ नहीं है तो इसे बन्द कर के सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करनी चाहिये ।

मंत्री महोदय को निगम सेविवर्ग को आश्वासन देना चाहिए कि निगम पुनर्गठन करने पर वहां के कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर नौकरियां दी जायेंगी । चूंकि वहां के से विवर्ग में भविष्य के बारे में अनिश्चितता पाई जाती है इसलिए वह असन्तुष्ट हैं।

फराका बांध का कार्य निर्धारित समय में ही पूरा किया जाना चाहिये । कलकत्ता में हुगली नदी के किनारों पर भूमि का कटाव हो रहा है जिस कारण इस औद्योगिक क्षेत्र में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । इस कटाव को रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): तीसरी योजना अवधि में सिंचाई संबंधी लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे । परन्तु विद्युत् के लक्ष्य अवश्य पूरे हो जायेंगे । मुझे आशा है कि उद्योग तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री उद्योगों का विकास शीघ्र करेंगे ताकि विद्युत् का प्रयोग पूरी तरह किया जा सके ।

यह खुशी का विषय है कि रिहान्द से कमी वाले राज्य पश्चिम बंगाल को विद्युत् दी जाने लगी है । कुछ विद्युत् हीराकुड से भी दामोदर घाटी निगम को उपलब्ध की जाती है। यदि हीराकुड व्यवस्था को मचकुड के साथ मिला दिया जाय तो दक्षिण से उत्तर प्रदेश तक सारे देश के लिए एक विद्युत् ग्रिड मिल सकेगा ।

विद्युत् की दरों के सिलसिले में भेदभाव नहीं होना चाहिए। रिहान्द से अल्युमिनियम जैसे उद्योगों के लिए कम दर पर विद्युत् दी जाती है परन्तु कृषकों को अधिक दर पर दी जाती है । कृषिकार्यों के लिए विद्युत् कम दर पर दी जानी चाहिए।

राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य विद्युत् बोर्डों को वित्तीय सहायता दें और उपभोक्ताओं को पम्प आदि खरीदने के लिए भी सहायता दें । कृषकों से विद्युत् के लिए दरों के सिलसिले में जो कार्यक्रम है उस के प्रति समन्वित दृष्टिकोण होना ही चाहिए ।

तिक्केरपाड़ा परियोजना के बारे में खबर छपी थी कि योजना आयोग की मंजूरी इसके लिए नहीं ली गई । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने भी इसके पक्ष में राय नहीं दी। अब देश का २७८ करोड़ रुपया इस परियोजना पर व्यय किया जायेगा और १००० वर्ग मील खेती योग्य भूमि पानी के अन्दर आ जायेगी जिस के कारण ४ लाख लोग बेघर हो जायेंगे । वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना आयोग की राय की परवाह नहीं करता और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की राय की परवाह भी नहीं करता । यह बातें तब प्रकाश में आईं जब श्री बी० पटनायक ने उड़ीसा विधान सभा में कहा ...

उपाध्यक्ष महोदय : जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है उस के बारे में माननीय सदस्य कुछ नहीं कह सकते ।

श्री प्र० के० देव : मैं तिक्केरपाड़ा बांध के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश कर चुका हूं परन्तु मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। अनौपचारिक सलाहकार समिति तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की बहुत सी बैठकें हो चुकी हैं। इसलिए मैं सभा का ध्यान इस अत्यावश्यक विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। इस विषय में उड़ीसा विधान सभा में भी चर्चा हो चुकी है। वहां पर यह कहा गया कि :

> "परियोजना प्रतिवेदन के बगैर ही, प्रधान मंत्री का आशीर्वाद प्राप्त कर के अन्य राज्यों से होने वाली प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए एक न्यायोचित नीति।"

उन्होंने आगे कहा है कि युद्ध और प्रेम में सब उचित ही होता है। हम न किसी से प्रेम कर रहे हैं और न ही हमारा इरादा किसी से युद्ध करने का है। यह कहा गया, "अन्ततोगत्वा प्रधान मंत्री की शुभ इच्छाओं का ही प्रभाव होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि यह सब कैसे हो गया। यदि प्रधान मंत्री के निकट होने के कारण ही किसी ने देश के भाग्य का निर्णय करना है तो और प्रधान मंत्री के बीमार हो जाने का लाभ उठाना है तो यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। मंत्री महोदय को इस पर प्रकाश डालना चाहिए।

टिकरपारा परियोजना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जब हीराकुड बांध के बाद डैल्टा क्षेत्र में बाढ़ों पर नियंत्रण न किया जा सका, तो प्राक्कलन की राशि बढ़ गयी। यह ४८ करोड़ से १०० करोड़ हो गयी। हम विभिन्न दिशाओं में अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सके। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा टिकरपारा बांध परियोजना की छान बीन किये बिना योजना आयोग ने यह परियोजना स्वीकार कैसे कर ली। इस परियोजना से बिलकुल कोई आर्थिक लाभ नहीं है। लगभग ३०० वर्ग मील उपजाऊ जमीन डूब जायेगी और लगभग ५०००० लोग बेघरबार हो जायेंगे। इस से जो विद्युत निर्माण की जायेगी वह सम्भवत: राज्य की मांगों से कहीं अधिक होगी और जो छोटी परियोजनाओं से पूरी की जा सकती है। मेरा विचार तो यह है कि इस परियोजना को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि इससे जितनी समस्यायें सुलझेंगी उससे अधिक पैदा हो जायेगी। मेरा निवेदन यह है कि इसके स्थान पर इन्द्रावती परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहां पर बिजली पैदा करने की लागत १ रुपया २६ नये पैसे यूनिट होगी। इस से २ लाख एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई होगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि की सहायता से बंगलौर में जो बिजली अनुसन्धानशाला स्थापित की जा रही है उसका मुख्य कर्तव्य बिजली संबंधी क्षमता का व्यापक सर्वेण करना और प्राथमिकता निश्चित करना है। देश में सिंचाई क्षमता के उपभोग में ढिलाई के बारे में सरकार को छान बीन करनी चाहिये। मंत्रालय की रिपोर्ट में यह कारण बताया गया है कि खेतों में नालियां समय पर नहीं बनायी गयीं। लेकिन सही कारण यह मालूम होता है कि ऊंची दरों के साथ-साथ उन्नति कर लगाया गया है। गुजरात जैसे राज्यों में, जहां किसानों को यह बताना होता है कि वे कितने साल तक सिंचाई के लिए पानी लेंगे, पेचीदा प्रक्रियाएं अपनायी जा रही हैं उन्हें पेशगी भी देनी होती है।

मैं राजस्थान नहर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस नहर की क्षमता बहुत अधिक है। परन्तु राजस्थान में दुर्भिक्ष की खबरें आ रही हैं। गाड़ियों पर पानी बीकानेर

प्रतिदिन लाया जा रहा है । लोगों को काफी कठिनाई हो रही है । अतः मेरा निवेदन है कि राजस्थान नहर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये । छोटी और मंझली सिंचाई योजनाओं के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इन के बारे में दलगत दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

पंजाब में पानी जमा हो जाने की बड़ी भारी समस्या है । पानी को निकालने का कोई तरीका नहीं है। इस पर जल कर भी लिया जाता है और विकास कर भी लगाया जाता है । अतः इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। जिला विकास बोर्ड स्तर पर स्टाफ की कमी की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की मांगों के सम्बंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६७	१	श्री दीनेन भट्टाचार्य	देश के विभिन्न भागों में बाढ़ें रोकने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
६७	२	श्री दीनेन भट्टाचार्य	सिंचाई क्षमता का प्रयोग	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
६७	३	श्री प्र० के० देव	२२१ लाख एकड़ तक सिंचाई क्षमता को प्रयोग कर सकने में असफलता	१०० रुपये
६७	४	श्री प्र० के० देव	त्तिकरपाडा बांध परियोजनाओं की जटिलतायें	१०० रुपये
६७	५	श्री प्र० के० देव	इन्द्रावती परियोजना चालू करने की आवश्यकता	१०० पये
६७	६	श्री प्र० के० देव	राजस्थान नहर के निर्माण की तुरन्त आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७	श्री प्र० के० देव	बालीमेला परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	८	श्री प्र० के० देव	केरल में तट की भूमि के टूटने को रोकना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६७	९	श्री प्र० के० देव	दण्डकारण्य में जंगल काटने को रोका जाना	१०० रुपये
६७	१०	श्री प्र० के० देव	बाढ़ रोकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	११	श्री प्र० के० देव	विद्युत् के लिए अखिल भारतीय ग्रिड की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	१२	श्री प्र० के० देव	सारे देश में एक रूप विद्युत् दरों की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	१३	श्री प्र० के० देव	३४ मीगावाट बिजली का उपयोग न किया जाना	१०० रुपये
६७	१४	श्री प्र० के० देव	हीराकुड ग्रिड के विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	१५	श्री प्र० के० देव	सिंचाई के लिए जल के एक-रूप मूल्य	१०० रुपये
६७	१६	श्री प्र० के० देव	व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	१७	श्री प्र० के० देव	विद्युत् अनुसंधान संस्था	१०० रुपये
६७	१८	श्री प्र० के० देव	देश की नदियों में मौसम राडारों की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	१९	श्री प्र० के० देव	विद्युत् निर्माण में प्राकृतिक गैस के प्रयोग की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	२०	श्री प्र० के० देव	कृष्णा, गोदावारी के पानी सम्बन्धी गुलहाटी आयोग का प्रतिवेदन	१०० रुपये
६७	२१	श्री प्र० के० देव	पश्चिमी बंगाल में फरखा बांध की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	२३	श्री राम सेवक यादव	गुलहाटी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६७	२४	श्री राम सेवक यादव	दुर्भिक्ष क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा	१०० रुपये
६७	२५	श्री राम सेवक यादव	अपर कृष्णा परियोजना के निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	२६	श्री राम सेवक यादव	छोटी बड़ी नहरों के निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	२७	श्री राम सेवक यादव	देहाती विद्युतीकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	२८	श्री राम सेवक यादव	तुंगभद्रा नदी के सर्वेक्षण का प्रतिवेदन	१०० रुपये
६७	२९	श्री दीनेन भट्टाचार्य	हुगली के दोनों किनारों पर से भूमि के टूटने को रोकना	१००रुपये
६७	३०	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक विद्युत सम्भरण की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	३१	श्री दीनेन भट्टाचार्य	ग्रामीण क्षेत्रों और लघु उद्योगों को विद्युत् संभरण की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	३२	श्री दीनेन भट्टाचार्य	नदी के मुहाने को ठीक करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	३३	श्री दीनेन भट्टाचार्य	सहकारिता के आधार पर चलने वाले लघु उद्योगों को सस्ती बिजली सम्भरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	३४	श्री दीनेन भट्टाचार्य	फरका बांध योजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	३५	श्री दीनेन भट्टाचार्य	दामोदर घाटी निगम परियोजना को चलाने में असफलता	१०० रुपये
६७	४०	श्री विश्राम प्रसाद	गुल्हाटी आयोग प्रतिवेदन की सिफारिशों को कार्यान्वित न करना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६७	४१	श्री विश्राम प्रसाद	उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगरों को सस्ती बिजली न देना ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दिया जाय ।
६७	४२	श्री विश्राम प्रसाद	बाढ़ नियंत्रण में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
६७	४३	श्री विश्राम प्रसाद	अन्तर्राज्यिक नदियों और नहरों के सम्बन्ध में समझौता न करवा सकना ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
६७	४४	श्री विश्राम प्रसाद	सिंचाई के जल संसाधनों को इस्तेमाल न कर सकना ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
६७	४५	श्री विश्राम प्रसाद	विद्युत् क्षमेता का विकास न कर सकना ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
67	61	Shri R. S. Yadav	Failure to check Floods and water logging.	100 Rs.
६७	६२	श्री विश्राम प्रसाद	बाढ़ नियंत्रण आदि के बारे में राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	६३	श्री विश्राम प्रसाद	परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	६४	श्री विश्राम प्रसाद	केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग का मूल्यांकन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	६५	श्री विश्राम प्रसाद	कृष्णा गोदावरी जलविवाद हल करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	६६	श्री विश्राम प्रसाद	बिजली पैदा करने की स्थायी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६७	६७	श्री विश्राम प्रसाद	गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को तेज करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	६८	श्री विश्राम प्रसाद	दिल्ली में बिजली घर बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	६९	श्री विश्राम प्रसाद	विभिन्न क्षेत्रों के बिजली बोर्डों में समन्वय की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	७०	श्री विश्राम प्रसाद	राम गंगा परियोजना का काम तेज करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	७१	श्री विश्राम प्रसाद	दामोदर घाटी निगम को पुनर्गठित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	७२	श्री विश्राम प्रसाद	दिल्ली बिजली संभरण संस्थान के काम का मूल्यांकन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	७३	श्री विश्राम प्रसाद	कोयना जल विद्युत् परियोजना का दूसरा दौर चलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
67	74	Shri R. S. Yadav	Extravagant expenditure and corruption	100 Rs.
६७	८७	श्री सरजू पाण्डेय	जल संसाधनों के प्रयोग में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
६७	८८	श्री सरजू पाण्डेय	बिजली क्षमता के विकास में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
६७	८९	श्री सरजू पाण्डेय	पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगरों को सस्ती बिजली न देना ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६७	९०	श्री सरजू पाण्डेय	बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्य करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
६७	९१	श्री मा० श्री अणे	केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९२	श्री मा० श्री अणे	मुख्य पश्चिम कौसी नहर के संरेखन के लिए नेपाल सरकार से अनुरोध की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९३	श्री मा० श्री अणे	कृषकों को सस्ती बिजली देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९४	श्री सरजू पाण्डेय	सिंचाई और बिजली परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९५	श्री सरजू पाण्डेय	गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम तेज करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९६	श्री सरजू पाण्डेय	सिंचाई के लिए पानी की समान दरें निर्धारित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९७	श्री सरजू पाण्डेय	बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेज करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९८	श्री सरजू पाण्डेय	पूर्वी उत्तर प्रदेश में और नलकूप की लगाने आवश्यकता ।	१०० रुपये
६८	९९	श्री मा० श्री अणे	बान गंगा नदी योजना को पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : श्री के० एल० राव के कार्यभार सम्भालने से आशा की जाती है कि बिजली और सिंचाई की कमी दूर हो जायेगी ।

योजना यह थी कि तीसरी योजना में २९४.७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी किन्तु योजना का अन्त होने को है और अभी २३१.६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की आशा है। बहुत कमी को पूरा करना बाकी है।

वर्ष प्रतिवर्ष खाद्यान्न का आयात बढ़ता रहा है। इसे तभी रोका जा सकता है जब भूमि के लिए जल सम्भरण की उपयुक्त व्यवस्था हो। अतः इस पर ध्यान को केन्द्रित करना चाहिये।

संथाल परगना की भूमि बहुत उर्वर है। वहां यदि जल सम्भरण की उचित व्यवस्था हो तो दो और तीन फसलें तक पैदा की जा सकती हैं। वहां अनेक नदियां हैं जिनका पानी प्रयोग नहीं किया जाता उसके लिए प्रबन्ध किया जा सकता है।

अतः यदि बिहार को कुछ निधि की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिये। हमें सिंचाई की क्षमता बढ़ा कर देश को आत्म-निर्भर बनाना चाहिये और आयात के भरोसे नहीं रहना चाहिये। इसके लिए अनेक नदी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है।

बिजली की भी कमी है। धन के अभाव और अन्य कारणों से उद्योग स्थापित नहीं हो सके नहीं तो बिजली की कमी अधिक होती इसलिए हमें बिजली की आवश्यकता का ध्यान रख कर पहले से योजनाएं बनानी चाहियें। बिहार असम और बंगाल में बिजली की कमी के कारण ही उद्योग स्थापित नहीं हो सके।

कई स्थानों पर परियोजनाओं से बची मशीनें बेकार पड़ी हैं, या तो उनका प्रयोग होना चाहिये या उन्हें बेच देना चाहिये।

सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए मिट्टी हटाने की बहुत सी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। पश्चिम में इन मशीनों के संचालन के प्रशिक्षण केन्द्र हैं, किन्तु बंगाल बिहार में कोई केन्द्र नहीं हैं। वहां केन्द्र खोलने का लाभ होगा ?

इस समय १२० लाख एड़ भूमि की सिंचाई की क्षमता है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा। उसका उपयोग करने के लिए कदम उठाने चाहियें।

संताल परगना में कुछ योजनाएं चलाई जा सकती हैं और उनका परिणाम २ ही वर्ष में प्राप्त हो जायेगा।

श्री ललित सेन (मंडी): सिंचाई और बिजली का देश के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए अत्यधिक महत्व है।

मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने मंत्रालय में कार्यकुशलता और निष्ठा की भावना पैदा की है और सिंहभूम क्षेत्र के जल संभरण के बारे में पंजाब तथा राजस्थान में और गुड़गांव की नहर के बारे में पंजाब और उत्तर प्रदेश में और इस प्रकार के अन्य अन्तर्राज्यिक विवादों को निबटाया है।

यह भी अच्छा हुआ है कि खाद्य तथा कृषि और सिंचाई तथा बिजली के मंत्रालय एक क्षेत्राधिकार में लाये गये हैं। इससे छोटी सिंचाई योजनाएं सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन आ जाएंगी जिन पर १२२ करोड़ रुपया खर्च किया जाता है किन्तु कोई परिणाम नहीं निकलता। इसका अध्ययन किया जायगा।

[श्री ललित सेन]

बिजली सम्बंधी आयोजन में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । बिजली की आवश्यकता का अनुमान एक योजना के आखिर में लगाया जाता है और अगली बिजली परियोजना को कार्यान्वित करने में पांच वर्ष लग जाते हैं जिससे कमी बनी रहती है। हमें योजना के मध्य में अगली योजना तैयार करनी चाहिये। चौथी और पांचवी योजना अभी से तैयार करनी चाहिये। सिंचाई की स्थिति यह है कि पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता। सिंचाई क्षमता का ८२ प्रतिशत उपयोग होने लगा है किन्तु उसके उत्पादन में काफी प्रगति नहीं हुई। उसमें अभी ६३.१ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की क्षमता और पैदा करना बाकी है।

हमारे जितने भी साधन हैं, उनका केवल २० प्रतिशत ही उपयोग में लाया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की भी बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम अपने देश की सिंचाई क्षमता का पूर्ण रूपेण प्रयोग करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए और अधिक योजनाओं को आरम्भ करना चाहिए। इस संदर्भ में राजस्थान नहर का बहुत अधिक महत्व है, अतः उसे सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और साथ ही इसके व्यय के लिए अपेक्षित धन राशि भी स्वीकृत की जानी चाहिए। इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय की सभी परियोजनाओं की छानबीन भी की जाय। पोछो-मद, श्री सेलम, कोयना और जयकुंडी जैसी योजनाओं को भी शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही इनकी पूरी जांच भी की जानी चाहिए।

चीनी हमले के बाद से ब्रह्म पुत्र के ऊपर के हिस्से के बारे में जानकारी पूरी उपलब्ध नहीं हो रही मेरा निवेदन है कि ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्सों में जल विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण ज्यादा जोर शोर से किये जाने चाहिएं, इस उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के साज सामान की व्यवस्था की जानी चाहिए। २० लाख किलोवाट विद्युत् शक्ति के उत्पादन के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिएं। १९६६ तक हमारी औद्योगिक आवश्यकता १५० लाख किलोवाट हो जायेगी । हम ८२७ करोड़ खर्च कर चुके हैं और कुल राशि जो कि व्यय की जानी है १००८९ करोड़ रुपये है। लगभग हम आधा खर्च कर चुके हैं और ७७ लाख किलोवाट विद्युत् निर्माण हो सकी है। तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक १२६.९ लाख किलोवाट का लक्ष्य हमने पूरा करना है। ५ लाख किलोवाट की वार्षिक वृद्धि को बढ़ाया जाना चाहिए। अतिरिक्त व्यय में ७० करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय भी होगा।

क्षेत्रीय बिजली बोर्डों की स्थापना बहुत अच्छी बात है। मैं इनका स्वागत करता हूं। इससे अन्तर्राज्य सहयोग की आशा की जा सकती है और २० लाख अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन में काफी सहायता मिलेगी। यह भी आशा की जा सकती है कि अन्ततोगत्वा इससे अखिल भारतीय प्रणाली बनेगी और काफी प्रगति होगी। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तथा अणशक्ति आयोग जैसी सभी केन्द्रीय संस्थाओं को विद्युत् उत्पादन के काम में समुचित समन्वय करना चाहिए। ऐसा हो जाय तो हमारी विद्युत शक्ति १६ गुणा बढ़ सकती है। अतः इन्हें एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हैवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरी का बन्द किया जाना

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर): मैं इस्पात और खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा निवेदन करता हूँ कि वह इस बारे में अपना वक्तव्य दें:

"भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरी का बन्द किया जाना"

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): मध्य प्रदेश सरकार के आदेश द्वारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स कर्मचारी संघ (इन्टक) को विद्युत् उद्योगों की प्रतिनिधि यूनियन घोषित किया गया है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स सर्वेन्टस ट्रेड यूनियन का प्रार्थना-पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह यूनियन अपने इस दावे के समर्थन में प्रमाण पेश नहीं कर सकी कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों में से सबसे अधिक कर्मचारी इसके सदस्य हैं।

इसके बाद हैवी इलैक्ट्रिकल्स सर्वन्ट्स ट्रेड यूनियन ने मामूली-मामूली बातों को लेकर कारखाने के विभिन्न अनुभागों में मजदूर संबंधी झगड़े खड़े करने शुरू कर दिये। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और प्रदर्शन किये। भूख हड़ताल मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के कहने पर तोड़ दी गयी। उन्होंने यूनियन को सलाह दी थी कि वह मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिनिधि यूनियन के रजिस्ट्रार से लिखापढ़ी करे। लेकिन यूनियन ने अचानक अपना आन्दोलन पुनः शुरू करने का निश्चय कर लिया। फिर, यूनियन के अध्यक्ष और ७ अन्य व्यक्तियों को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। इन व्यक्तियों को यह आश्वासन देने पर छोड़ दिया गया कि वे मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा १७ के अनुसार कार्यवाही करेंगे। इसके तुरन्त पश्चात हैवी इलैक्ट्रिकल्स सर्वेन्ट्स ट्रेड यूनियन के एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ राज्य सरकार की सहमति से बातचीत की गयी लेकिन उस यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यह ख्याल उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया मानो कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करने के लिये सहमत हो गयी है, जबकि यह बात सच नहीं थी और इसका स्पष्टीकरण जारी किया गया।

फिर यूनियन ने प्रबन्धकों और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध विषैला प्रचार करना आरम्भ कर दिया। तुरन्त ही आन्दोलन करने का काम गांधी समिति नामक एक समिति ने अपने हाथ में ले लिया। अनुशासनहीनता और अधिकारियों को धमकी देने की घटनायें बढ़ गयी। एक अधिकारी पर प्रहार किये जाने की भी एक घटना घटी। प्राधिकारियों को चिन्ता इस बात से थी कि मजदूरों ने काम करना बन्द कर दिया था और भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत दिये गये आदेशों का जान बूझकर उल्लंघन करके प्रदर्शन कर रहे थे।

राज्य सरकार ने इसलिये ५४ व्यक्तियों को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निकाले गये आदेशों का उल्लंघन करने के लिए भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन या शांति भंग होने के सन्देह में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। कारखाने

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

के अन्दर गड़बड़ न हो, इस उद्देश्य से जनरल मैनेजर ने स्थायी आदेशों के खण्ड ४८ के अन्तर्गत आज से कारखाना बन्द कर दिया है। कारखाना क्षेत्र में और हैवी इलेक्ट्रिकल्स् (इंण्डिया) लिमिटेड की बस्ती में शान्ति है।

कारखाना बन्द करने का आदेश इसलिए दिया गया है कि मजदूरों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाही की जाने का डर था।

यूनियन की एक मांग महंगाई भत्ते के बारे में थी। उसे बता दिया गया है कि मामले पर प्रतिनिधि यूनियन के साथ बातचीत की जायेगी। उनकी यूनियन प्रतिनिधि यूनियन नहीं है।

सरकार 'गान्धी समिति' के गठन के बारे में नहीं जानती और यह नहीं कहा जा सकता कि उस समिति के कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स सर्वेन्टस ट्रेड यूनियन, स्वतन्त्र होने के अपने दावे के बावजूद भी साम्यवादी प्रेरित यूनियन है और 'गान्धी समिति' उसका एक अंग है।

मजदूरों में अनुशासनहीनता समाप्त करने के लिए सरकार का विचार कड़ी कार्यवाही करने का है। जब तक मजदूर अनुशासन में रहकर कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स सर्वेन्टस ट्रेड यूनियन के इस दावे की पूरी जांच कर ली गई है कि उसे प्रतिनिधि यूनियन माना जाय। वे उच्च न्यायाधीश को, जो इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये थे, सन्तुष्ट नहीं कर सके हैं।

इन परिस्थितियों में जो भी जांच करनी आवश्यक होगी, वह कारखाने में सामान्य स्थिति स्थापित होने पर ही की जायेगी। इसके बाद सरकार इस मामले में नर्मी से काम लेने की कोशिश करेगी। लेकिन जो लोग लगातार झगड़े पैदा करते रहे हैं उनके साथ कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : गिरफ्तारी के बाद श्रमिकों के व्यवहार में कोई ऐसी बात देखने में आई है जिससे शांति तथा संयन्त्र की सुरक्षा को खतरा होता हो?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। वैसे यदि संयंत्र को चालू रखा जाता तो अवश्य उसको खतरा था।

श्रीमती मैमूना सुल्तान (भोपाल) : कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते की भी मांग की थी?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन्होंने १३ मांगों की एक पुस्तिका मुझे दी थी। इनमें से एक महंगाई भत्ते के बारे में है। इस मामले को प्रतिनिधि संघ के साथ ही की जा सकती थी, अतः मैंने उन्हें कहा था कि मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत उन्हें पहिले प्रतिनिधि संघ के रूप में अपना संगठन करना चाहिये। गांधी समिति के बारे में भी हमें कोई विशेष जानकारी नहीं केवल गांधी समिति के नाम पर पुस्तिका निकाली गई थी। वैसे यह गांधी समिति उनके

कार्मिक संघ का अंग थी। सरकार इस मामले में दृढ़ है और स्थिति को काबू में रखने के लिए कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह बात भी गलत है कि हम संघ को दूसरे संघ से लड़ाने का यत्न कर रहे हैं। सब से पहिले हम सामान्य स्थिति का निर्माण करेंगे और संयंत्र को चालू करेंगे इसके बाद यदि जांय आवश्यक हुई तो की जायेगी।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Government have closed down the factory due to the activities of the antiocial elements. There is a great frustration amongst the people. What action the Government is going to take to end their frustration and to restart the factory ?

Shri Braj Raj Singh (Bareilly) : The trouble started in almost all the factories of the government sector, except Billai, whether the Government has drawn any inference from that and is considering toroot out the root cause of this trouble.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं कोई परिणाम नहीं निकालता, प्रत्येक स्थान पर गड़बड़ी हो रही है और हमें अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसका मुकाबला करना है।

Shri Kachhavaiya (Dewas) : I want to know from the Hon. Minister why Mr. Suvaiya has been brought here from the Railways. He is not capable of handling the situation ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की मैं अनुमति नहीं देता।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Honourable Minister has stated that they will take strong action against the strikers. I want to know whether he will consider their 13 demands sympathetically after the normal conditions are restored ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सामान्य स्थिति पैदा हो जाने के बाद हम सारी बात पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करेंग। परन्तु जो लोग निरन्तर गड़बड़ करते रहते हैं उनके विरुद्ध तो कार्यवाही करनी ही होगी।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

श्री ललित सेन : अभी कुछ मिनिट पहले में यह सुझाव दे रहा था कि बिजली के सामान के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया जाय। और यह गैर-सरकारी क्षेत्र में होनी चाहिये ताकि उन उपकरणों पर व्यय हो रही विदेशी विनिमय को बचाया जा सके। सरकार को यह भी सदन को बताना चाहिये कि जल विद्युत् की अपेक्षा तापीय विद्युत् का उत्पादन क्यों अधिक किवा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार को हिमालय में विद्यमान जल सम्बन्धी सर्वेक्षण करना चाहिये। हिमाचल प्रदेश में किस मात्रा में बिजली का निर्माण हो सकता है इसका भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। मेरे विचार में अनेक एसी योजनाय हैं जिन्हें लाभ पूर्ण ढंग से उस प्रदेश में शुरू किया जा सकता है यद्यपि इन योजनाओं पर काफी धन के खर्च की अपेक्षा होगी। रावी और ब्यास के बेसिन काफी क्षमता पूर्ण हैं, उस बारे में अनुसंधान होना चाहिये।

[श्री ललित सेन]

मैं यह भी निवेदन करन चाहता हूं कि सिंचाई और बिजली सम्बन्धी अनुसंधान को बढ़ाया जाना चाहिये। तापीय इंजीनियरों के लिए संचालन सम्बन्धी योग्यता प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है, अतः उन्हें प्रशिक्षण की सुविधायें दी जानी चाहिये। यदि हम पूर्ण क्षमता से अपनी कमियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहे तो अवश्य एक दिन लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस दिशा में मेरा यह भी सुझाव है कि मंत्रालय के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए एक विशिष्ट पत्रिका निकालने की सम्भावना पर विचार करना चाहिये।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, ३१ मार्च १९६४/ चैत्र ११ १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 31st March, 1964/Chaitra 11, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSIII—322 (ai) LSD—17-6-64—60